



विवरणिका

PROSPECTUS

2026-27



हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार
विश्वविद्यालय

Haridev Joshi University of Journalism and Mass
Communication

विश्वविद्यालय : एक परिचय

मीडिया और जनसंचार के लगातार बढ़ते हुए आकार, विविधता और अर्थ-बहुलता के दौर में राजस्थान सरकार द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (एचजेयू) की स्थापना को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद रखा जाएगा। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे शैक्षिक संस्थानों में मीडिया के क्षेत्र में उभरे नये अभिरूपों और नवाचारों के अध्ययन-अध्यापन की कोई विधिवत व्यवस्था मौजूद नहीं है। राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2019 के अंतर्गत गठित यह विश्वविद्यालय मीडिया-अध्ययन के क्षेत्र में इसी अभाव की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।



स्वतंत्रता-सेनानी, पत्रकार और राजस्थान के लोकप्रिय राजनीतिज्ञ श्री हरिदेव जोशी (1920-1995) की रूमृति को समर्पित यह संस्थान सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र-निर्माण की समावेशी भावना की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। श्री जोशी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कई वर्ष तक पत्रकारिता के ज़रिये मीडिया-जगत को अपना सक्रिय योगदान दिया था। बाद में वे न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, बल्कि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे।

विश्वविद्यालय ज्ञान और कौशल के वैश्विक मानकों के अनुरूप मीडिया-अध्ययन के लिए ऐसा परिवेश प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जहाँ विद्यार्थी मीडिया और अकादमिक क्षेत्र की उच्चतम अपेक्षाओं का निर्वाह सीख सकें। मीडिया के नवाचारों और पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्रों में सैद्धांतिक ज्ञान, प्रौद्योगिकीय कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण के संतुलित अनुपात पर आधारित हमारी पाठ्ययोजना अंतर-अनुशासनिक दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से भारतीय समाज की सम्यक् समझ को साझा करते हुए सार्वजनिक जीवन में नैतिक आदर्श और सदाचार के मूल्यों को भी रेखांकित करना चाहता है। इन मूल्यों के बग़ैर कोई मीडिया भारत की विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता।

हम शिक्षण को कक्षाओं के घेरे से बाहर ले जाते हुए भाषा, कानून, संविधान व नागरिक अधिकार, प्रौद्योगिकी व समाज, विज्ञान, जलवायु-परिवर्तन, लैंगिक संवेदनशीलता और फ़ेक न्यूज जैसे विषयों के इर्दगिर्द सेमिनार, व्याख्यान, परिसंवाद, कार्यशालाएँ और अंतर-क्रियात्मक सत्र आयोजित करना चाहते हैं। चाहते हैं कि मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में सुयोग्य नई पीढ़ी सामने आए, जो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर संवेदनशील हो। भविष्य का मीडिया ऐसे ही सजग हाथों में सुरक्षित होगा। विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी और ऐतिहासिक शहर जयपुर के बेहतरीन वातावरण के बीच स्थित है।

दृष्टि और ध्येय

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय मीडिया के क्षेत्र में शिक्षा और शोध के श्रेष्ठ संस्थान के रूप में पहचान बनाने के लिए कृतसंकल्प है। पत्रकारिता और जनसंचार को हम शिक्षण, प्रशिक्षण, विवेचनात्मक दृष्टिकोण और सृजनशीलता से समृद्ध करना चाहते हैं। मीडिया अध्ययन और मूल्य-आधारित पत्रकारिता को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाने के लिए हम नवीनतम तकनीकी, विमर्शात्मक और नैतिक युक्तियों का प्रयोग करेंगे।



विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को बौद्धिकता तथा विचारशीलता के कड़े मानकों और सृजनात्मक चिंतन का प्रशिक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। हम विद्यार्थियों को सवाल उठाने, शंकाओं को साझा करने और इस प्रक्रिया के ज़रिये परिवर्तनकारी मानस बनाने को प्रेरित करना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि किसी भी प्रगतिशील समाज को अपना नवीकरण करते रहने के लिए ऐसे ही मानस की आवश्यकता होती है।

भारतीय समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों व समकालीन सच्चाइयों को समझने के लिए यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में समावेशी समतापरक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें सहिष्णुता के प्रति जागरूक रखने में यत्नीय करता है। वह उन्हें देश की सुदृढ़ परंपराओं और आधुनिक विश्व-दृष्टि के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने में सक्षम बनाना चाहता है।

हम लैंगिक-समानता पर आधारित लोकतंत्र, सहिष्णु तथा जातिविहीन समाज की रचना में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विद्यार्थी इस उद्देश्य के प्रति संवेदनशील हों। हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थी देश के गतिशील लोकतंत्र की अपेक्षाओं को समझें और राष्ट्र की नागरिकता के साथ वैश्विक नागरिकता के तकाजों पर भी खरे उतरें।

विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति

श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे
कुलाधिपति एवं
माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान



माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे जी का जन्म कृषक परिवार में हुआ। आप आरंभ से ही जन-सेवा के सरोकारों से जुड़े रहे हैं। समाज सेवाएँ कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में आपका गहन अध्ययन ही नहीं है बल्कि आपने इन क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है।

माननीय राज्यपाल महोदय की ग्रामीण विकास में गहरी रुचि है। कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर आपने कार्य किया है।

महाराष्ट्र में आपकी पहल पर एक बड़ी पहल यह भी हुई है कि वहाँ सहकारिता आंदोलन को आपने गति दी। किसानों को दूध से संबंधित व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके दूध विपणन को आपने निरंतर बढ़ावा दिया है। गन्ना किसानों के लिए आपने बहुत महती कार्य करते हुए उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ प्रदान करने के लिए बाकायदा गन्ना कारखाने स्थापित किए।

औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर और जालना जिलों में अकाल उन्मूलन के उद्देश्य से गठित आरएसएस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आप रहे। आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़ाव हो गया था। पत्रकारिता के अंतर्गत 'साप्ताहिक विवेक' के प्रतिनिधि के रूप में भी आपने कार्य किया।

राजनीतिक कैरियर

पिछले साठ सालों में आप राजनीति में निरंतर सक्रिय रहे। महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं और सहकारिता आंदोलन से निकटता से जुड़े रहने के साथ आपने समय-समय पर आम जन के लिए आवाज उठाते हुए उनके हितों के लिए निरंतर कार्य किया है। आपातकाल लगाए जाने के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके विरोध में सत्याग्रह किया। 2004 में आप महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष बने। भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में आप रहे।

विधायक पद पर निरंतर छह बार

आप लगातार छह बार विधायक रहे हैं। वर्ष 1985, 1990, 1995, 1999 में छत्रपती संभाजीनगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से और 2014 में औरंगाबाद जिले के फुलंब्री निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य के रूप में आप चुने गए। 2019 से 2024 तक फुलंब्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे।

आपने रोजगार गारंटी योजनाएँ सार्वजनिक खातों, सार्वजनिक उपक्रमों और विधायिका की विभिन्न संयुक्त समितियों पर काम किया और विधायी समितियों के सदस्य रहे।

मंत्री पद पर कार्य

- रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1995-1997
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, 1997-1999
- जालना जिले के संरक्षक मंत्री, 1995-1999

विधानसभा अध्यक्ष

- 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधान सभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष रहते संसदीय कार्यप्रणाली और विधायी मर्यादा के लिए आपने निरंतर कार्य किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- 1981 में देवगिरी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद की स्थापना की और 1985 में क्रांति चौक, औरंगाबाद में अपनी पहली शाखा खोली।
- देवगिरी नगरी सहकारी बैंक, औरंगाबाद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष
- 1974 से संस्थापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, चित्तेपिंपलगाव, जिला औरंगाबाद
- संस्थापक सदस्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान, वरुड (1985 से जुलाई, 2024 अध्यक्ष)
- जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, औरंगाबाद (अगस्त 2011 से 2024 तक अध्यक्ष रहे)। परोपकार की अवधि में, महासंघ ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में फेडरेशन को सहकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।
- संस्थापक और अध्यक्ष, छत्रपति संभाजी राजे शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चित्तेपिंपलगाव, 2001
- संस्थापक और अध्यक्ष, संभाजी राजे ग्रामीण गैर कृषि सहकारी ऋण समिति, चिट्टेपिंपलगाव

विदेश यात्राएं

- उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल, काइरो (मिस्र), यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, चीन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रिनलैंड, होन्ग कोंग की यात्रा

वर्तमान में:

- 31 जुलाई 2024 से राजस्थान के राज्यपाल का पदभार
- राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान के अध्यक्ष
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के अध्यक्ष
- स्काउट्स और गाइड्स, राजस्थान के संरक्षक
- इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान राज्य के अध्यक्ष

निम्न विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति

- राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर
- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
- मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
- महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
- जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
- स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
- महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
- गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
- राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
- राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनू
- श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
- विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
- बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
- डॉ. भीमराव आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
- एम बी एम विश्वविद्यालय, जोधपुर
- बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर
- महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर
- मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जोधपुर

कुलगुरु की कलम से

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

कुलगुरु

हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय



आपका इस राष्ट्रीय संस्थान में स्वागत है। पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध के लिए इसकी स्थापना राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम, 2019 द्वारा की गई है। यह विश्वविद्यालय ऐसे समय में गुणवत्तापूर्ण मीडिया शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब सूचना, संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे सक्षम, संवेदनशील और उत्तरदायी मीडिया पेशेवर तैयार करना है जो समाज, राष्ट्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के उन मूल्यों को भी महत्व देता है, जिन्होंने सदियों से संवाद, सत्य, ज्ञान और लोकमंगल की संस्कृति को समृद्ध किया है। हमारा विश्वास है कि आधुनिक मीडिया शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब वह तकनीकी दक्षता के साथ नैतिकता, सामाजिक संवेदना, उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक चेतना का भी विकास करे।

विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातक पाठ्यक्रम तथा बी.ए. ऑनर्स कार्यक्रम संचालित हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर मीडिया स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, विज्ञापन, जनसंपर्क तथा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा अनुभवी शिक्षक समूह है। यहां कार्यरत अनेक शिक्षक उत्कृष्ट अकादमिक योग्यता के साथ मीडिया उद्योग का व्यापक अनुभव भी रखते हैं। उनके मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ मीडिया जगत की वास्तविक कार्यप्रणाली, समकालीन चुनौतियों और व्यावसायिक अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है। यह अकादमिक और व्यावहारिक अनुभव का समन्वय विद्यार्थियों को रोजगार और नेतृत्व दोनों के लिए तैयार करता है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्वविद्यालय में आधुनिक स्टूडियो और अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। यहां विद्यार्थियों को समाचार लेखन, रेडियो एवं टेलीविजन उत्पादन, डिजिटल कंटेंट निर्माण, वीडियो संपादन और मल्टीमीडिया संचार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षभर प्रतिष्ठित

पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के व्याख्यान, कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टिकोण और समसामयिक ज्ञान प्राप्त होता है।

विश्वविद्यालय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान, नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग, डिजिटल मीडिया अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को निरंतर सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। हमारा लक्ष्य पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का ऐसा केंद्र बनना है जो ज्ञान, कौशल और मूल्यों के समन्वय के माध्यम से नई पीढ़ी के मीडिया नेतृत्व का निर्माण कर सके।

यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सीखने, सृजन करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान कर रहा है।

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

कुलगुरु

अनुक्रम

1. विश्वविद्यालय: एक परिचय
2. दृष्टि और ध्येय
3. विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति
4. विश्वविद्यालय के कुलगुरु
5. विश्वविद्यालय अधिष्ठान
6. विश्वविद्यालय प्रशासन
7. विश्वविद्यालय: विविध आयाम
 - i. विश्वविद्यालय परिसर
 - ii. विश्वविद्यालय के संकाय
 - iii. पाठ्यक्रम
 - iv. प्रवेश और नामांकन
 - v. विद्यार्थियों की उपस्थिति
 - vi. अनुशासन
 - vii. छात्रवृत्ति
 - viii. परीक्षा
8. शैक्षणिक विभाग और पाठ्य-योजनाएं
9. शोध केन्द्र और पीएच.डी.
10. पुस्तकालय
11. प्लेसमेंट सेल
12. समझौते पत्र (MoUs)
13. प्रवेश प्रक्रिया
 - i. प्रवेश सारणी
 - ii. प्रवेश नियम
 - iii. शुल्क संरचना
 - iv. शुल्क से छूट संबंधी नियम प्रावधान

विश्वविद्यालय के अधिष्ठान

सलाहकार परिषद

श्री शशि शेखर अध्यक्ष
प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय कुलगुरु

पदेन सदस्य

- उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव
- सूचना और जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी सचिव
- कुलगुरु, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- आयुक्त / निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर

कुलाधिपति (माननीय राज्यपाल) द्वारा मनोनीत:

- प्रो. बृजकिशोर कुठियाला
- डॉ. देव कोठारी
- प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव
- डॉ. सच्चिदानंद जोशी
- श्री राहुल देव

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत:

- डॉ. संगीत प्रणवेन्द्र, नई दिल्ली
- श्रीमती शुचि चौहान, जयपुर
- श्री राकेश वर्मा, जयपुर
- श्री जितेंद्र शर्मा, जयपुर
- श्री मुरारी गुप्ता, जयपुर

सदस्य सचिव

- श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कुलसचिव

प्रबंध बोर्ड

अध्यक्ष

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, कुलगुरु

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विधानमण्डल सदस्य

- श्री भागचंद टाँकड़ा

कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य

- डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी
- प्रो. कैलाश डागा

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

- डॉ. नन्द सिंह नरुका
- डॉ. महावीर प्रसाद कुमावत

कुलगुरु द्वारा मनोनीत सदस्य (संकाय अध्यक्ष)

- डॉ. मनोज कुमार लोढा अध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय
- डॉ. शालिनी जोशी कार्यकारी अध्यक्ष, जनसंचार संकाय

पदेन सदस्य

- वित्त विभाग के प्रभारी सचिव
- उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव
- सूचना और जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी सचिव
- आयुक्त / निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार
- आयुक्त / निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार
- कुलगुरु, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सदस्य सचिव

- श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कुलसचिव

विद्या परिषद

अध्यक्ष

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय कुलगुरु

संकाय सदस्य

डॉ. मनोज कुमार लोढा, अध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय
डॉ. अनिल कुमार मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष, जनसंचार संकाय

कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य

प्रो. राजेश जंगिड़
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
श्री महेंद्र सिंघल

पदेन सदस्य

सूचना और जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी सचिव
उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव
अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष

सदस्य सचिव

श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कुलसचिव

वित्त समिति

अध्यक्ष

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, कुलगुरु

प्रबंध बोर्ड द्वारा मनोनीत अशासकीय सदस्य

डॉ. महावीर प्रसाद कुमावत

पदेन सदस्य

वित्त विभाग के प्रभारी सचिव
सूचना और जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी सचिव
उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव
डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा, वित्त नियंत्रक, सदस्य सचिव

विश्वविद्यालय प्रशासन

कुलसचिव	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा registrar@hju.ac.in	0141-2710123
वित्त नियंत्रक	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा cf@hju.ac.in	0141-2710122
परीक्षा नियंत्रक	डॉ. अजय कुमार सिंह ce@hju.ac.in	0141-2710124
समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासन	डॉ. गरिमा श्री hjuacademiccampus@gmail.com	99535 42467
उप कुलसचिव	डॉ. अश्विनी शर्मा dr@hju.ac.in	0141-2710122
कुलानुशासक	डॉ. ऋचा यादव	
कार्यकारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डॉ. रतन सिंह शेखावत	
संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय	डॉ. मनोज कुमार लोढा	
कार्यकारी संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय	डॉ. शालिनी जोशी	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभारी	डॉ. मनोज कुमार लोढा	
स्टूडियो प्रभारी	डॉ. अजय कुमार सिंह	
पुस्तकालय प्रभारी	डॉ. शालिनी जोशी	
कंप्यूटर लैब प्रभारी	डॉ. अजय कुमार सिंह	
समन्वयक		
शोध केंद्र	डॉ. मनोज कुमार लोढा	
प्लेसमेंट सेल	डॉ. मनोज कुमार लोढा	
IQAC	डॉ. ऋचा यादव	
कार्यकारी विभागाध्यक्ष		
मीडिया अध्ययन विभाग	डॉ. रतन सिंह शेखावत	
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग	डॉ. अजय कुमार सिंह	
मीडिया संगठन और जनसम्पर्क विभाग	डॉ. ऋचा यादव	
न्यू मीडिया विभाग	डॉ. शालिनी जोशी	
विकास संचार विभाग	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	
बीए-जेएमसी	डॉ. गरिमा श्री	

लोकपाल

प्रो. राजीव सक्सेना

विश्वविद्यालय की समितियां

एंटी रैगिंग समिति

समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासन

संयोजक

डॉ. ऋचा यादव

सदस्य

डॉ. रतन सिंह शेखावत

सदस्य

आन्तरिक शिकायत समिति

समन्वयक

प्रो. निधि सिंह, अंग्रेजी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय

सदस्य

डॉ. अश्विनी शर्मा, सहायक कुलसचिव, hju,

सदस्य

डॉ. ऋचा यादव, सहायक प्रोफेसर

सदस्य

डॉ. अनिल कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर

सदस्य

डॉ. मंगला शर्मा, आसरा फाउंडेशन, जयपुर

विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)

अध्यक्ष

समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासन

सदस्य

डॉ. रतन सिंह शेखावत, सहायक प्रोफेसर

सदस्य

डॉ. अजय कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर

विश्वविद्यालय परिसर

- विश्वविद्यालय का मुख्यालय जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल के अंदर पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बी होल्कर भवन के द्वितीय मंजिल पर स्थित है।
- विश्वविद्यालय का परिसर अजमेर रोड पर ग्राम दहमी कलां में स्थित है। यह परिसर 123626.76 वर्ग मीटर में फैला है।
- परिसर में शानदार वास्तुकला के तहत अकादमिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन, कंप्यूटर प्रयोगशाला, सभी उपकरणों से सुसज्जित स्टूडियो, स्मार्ट कक्षाएँ, पुस्तकालय, वचन कक्ष आदि का निर्माण किया गया है।

विश्वविद्यालय के संकाय

पत्रकारिता संकाय

- क. मीडिया अध्ययन विभाग
- ख. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग
- ग. नव मीडिया विभाग

जनसंचार संकाय

- क. मीडिया संगठन और जनसम्पर्क विभाग
- ख. विकास संचार विभाग

संकाय सदस्य

अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें https://hju.ac.in/faculty_en.html

अद्यतन पाठ्यक्रम

- विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सभी शैक्षणिक पाठ्य-योजनाओं के पाठ्यक्रम NEP2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020), अकादमिक मानकों और व्यावसायिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित किए गए हैं।
- पाठ्यक्रमों को प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों एवं अनुभवी मीडिया विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।
- पाठ्यक्रमों में मीडिया से संबंधित अधुनातन प्रवृत्तियों, रोजगारोन्मुख कौशल, नवाचार के साथ-साथ व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सामग्री को भी शामिल किया गया है।
- पाठ्यक्रमों को निरंतर अद्यतन करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है, ताकि विद्यार्थी इनमें दीक्षित होकर सुयोग्य प्रोफेशनल बन पाएँ।

प्रवेश और नामांकन

- विद्यार्थियों को प्रवेश विवि की प्रवेश नीति के अनुसार दिया जायेगा।
- एनईपी, 2020 के अनुसार, सभी मानदंड पूरे करने पर, विद्यार्थी लैटरल इंटी के माध्यम से भी प्रवेश ले सकते हैं।
- स्नातक और स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- बिना नामांकन के किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा।
- किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी नामांकन आवेदन के साथ प्रव्रजन प्रमाण-पत्र की मूलप्रति और अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका की प्रति संलग्न करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र संलग्न करने की जरूरत नहीं है।
- अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका की इस प्रति का समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक द्वारा मूल प्रति से सत्यापन के बाद ही नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, आवेदन किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

विद्यार्थियों की उपस्थिति

- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों।
- कक्षाओं और उससे जुड़े प्रायोगिक / फ़ील्ड कार्य में विद्यार्थियों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- विशेष परिस्थितियों में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमों के अनुरूप विद्यार्थियों को न्यूनतम उपस्थिति में छूट दी जा सकती है।

अनुशासन

- विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सद्-व्यवहार के मानकों का पालन करें।
- विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी सदैव अपना परिचय-पत्र साथ रखेंगे।
- विश्वविद्यालय परिसर पूर्णतः रैगिंग-मुक्त है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय ने एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया है। कोई भी भयातुर विद्यार्थी इस समिति तक अपनी शिकायत पहुँचा सकता है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। न केवल परिसर में, परिसर से बाहर भी यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों में मेल-जोल हो, मगर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि रैगिंग का माहौल कतई न बने।
- विश्वविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जो परिसर में लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का निस्तारण करती है। इसकी रोकथाम के साथ ही समिति विद्यार्थियों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने की सकारात्मक पहल भी करती है।
- विद्यार्थियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए विश्वविद्यालय ने एक विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का भी गठन किया है। एसजीआरसी के फैसलों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने के लिए विश्वविद्यालय ने एक लोकपाल भी नियुक्त किया है।

छात्रवृत्ति

1. विद्यार्थी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों/वित्तीय मदद के पात्र हैं।
2. यह छात्रवृत्ति/वित्तीय मदद की संबंधित योजना के नियमों के अंतर्गत ही मान्य है।

परीक्षा

- विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सैमेस्टर प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तथा ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है।
- सैमेस्टर के अंत में मुख्य परीक्षा प्रति वर्ष दिसंबर और मई में आयोजित की जाती है।
- परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करते हैं।
- परीक्षा परिणाम भी ऑनलाइन जारी किया जाता है।

मीडिया अध्ययन विभाग

पत्रकारिता संकाय के अधीन संचालित यह मीडिया अध्ययन विभाग प्रिंटी मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक विभिन्न प्लेटफॉर्मों के समग्र अध्ययन पर केंद्रित है और मीडिया की परंपरागत विधियों के साथ ही इसकी आधुनिक प्रवृत्तियों से भी पूरी तरह परिचित है। विभाग के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि विद्यार्थी प्रिंट मीडिया के साथ ही अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए भी अच्छे पेशेवर साबित हो सकें। मीडिया उद्योग के विभिन्न पहलुओं से विद्यार्थियों को रू-ब-रू करवाने के लिए विभाग के पास समृद्ध और व्यवस्थित पुस्तकालय है। इसके अलावा लेआउट और डिजाइनिंग के व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर से युक्त एक कंप्यूटर लैब भी है।

कक्षाएं व्याख्यान, प्रायोगिक कक्षाओं, कार्यशालाओं और पत्रकारीय प्रशिक्षण के रूप में आयोजित की जाती हैं। पाठ्यक्रम में पत्रकारिता का परिचय, प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों को मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के लिए तैयार किया जा सके। इससे विद्यार्थियों को पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं में महारत हासिल करने में मदद मिलती है। संचार रणनीति, पत्रकारीय तकनीक के साथ ही भारतीय समाज के आधुनिक बहुलतावादी, बहु-प्रजातीय और बहु-सांस्कृतिक स्वरूप के अनुरूप पत्रकारिता पेशे के प्रति एक जिम्मेदाराना नजरिया विकसित करने में मदद करना है।

यह विभाग विद्यार्थियों को मीडिया तकनीक के उपयोग के साथ ही पत्रकारिता कौशल और मूल्यों के लिए भी सक्षम बनाता है। विभिन्न विषयों के ज्ञान को एक साथ लाने के दृष्टिकोण के साथ मीडिया अध्ययन विभाग विद्यार्थियों की नींव अच्छे पत्रकारिता संबंधी लेखन के लिए तैयार करता है। विद्यार्थी इंटरनेट के अलावा मीडिया पेशेवरों और विजिटिंग फैकल्टी के माध्यम से मीडिया उद्योग और मीडिया संगठनों से परिचित होते हैं। विद्यार्थियों को जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनाया जाता है, ताकि वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण मीडिया उद्योग में अपनी जगह बना सकें।

यह विभाग मीडिया उद्योग के विभिन्न पहलुओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाते हुए विशेष तौर पर भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति समझ विकसित करने का लक्ष्य रखता है। यह विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण से युक्त बनाता है, जो उनको एक बेहतरीन पत्रकार और भारतीय प्रिंट मीडिया का अभिन्न अंग बनाता है। हाल के वर्षों में प्रिंट मीडिया उद्योग नए और विभिन्न प्रयोगों से गुजर रहा है, जहां डिजिटल तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का परिदृश्य तेजी से बदला है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन मूलभूत बदलावों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना भी है। परिणामस्वरूप, मीडिया मूल्यों, नागरिक अधिकारों, पर्यावरण संकट और वैज्ञानिक सोच विकसित करना इस पाठ्यक्रम के केंद्र में है। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के मेल के जरिए विभाग विद्यार्थियों में प्रिंट मीडिया के इतिहास और वर्तमान में प्रिंट मीडिया के महत्व की गहरी और स्पष्ट समझ विकसित करना चाहता है।

मीडिया अध्ययन विभाग का उद्देश्य विविध प्रकार के मीडिया लेखन का बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र बनना है। इससे विद्यार्थियों को मीडिया के हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर ढूंढने में मदद मिलेगी। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद

विद्यार्थी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में अवसर हासिल कर सकते हैं। न्यूज पोर्टल्स और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके लिए विपुल अवसर हैं। मीडिया में कार्यरत ऐसे पेशेवरों के लिए विभाग डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है, जो अपने भाषा और तकनीकी कौशल में सुधार करना चाहते हैं। विभाग पीएच-डी पाठ्यक्रम भी संचालित करता है, जिसका उद्देश्य मीडिया शोध का बेहतरीन केंद्र बनना है। मीडिया उद्योग और अकादमिक दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया शोध का महत्त्व तेजी से बढ़ा है। मीडिया उद्योग में शोध की अपार संभावनाएं हैं। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध के प्रति उचित नजरिया विकसित करना भी है।

संचालित पाठ्य-योजनाएँ

:

1. एमए (मीडिया अध्ययन) 2 वर्षीय पाठ्ययोजना
2. एमए (मीडिया अध्ययन) 1 वर्षीय पाठ्ययोजना
3. बीए-जेएमसी
4. मीडिया अध्ययन में बीए-जेएमसी (ऑनर्स)
5. डैस्क-टॉप पब्लिशिंग में पीजी डिप्लोमा

एमए (मीडिया अध्ययन)

मीडिया अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम मीडिया अध्ययन विभाग के अंतर्गत संचालित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि वे मीडिया उद्योग में एक कुशल पेशेवर के बतौर काम कर सकें। चार सैमेस्टर का यह पाठ्यक्रम दो साल का है, जिसमें विद्यार्थियों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए दीक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें भारतीय पत्रकारिता की परंपराओं के बारे में भी समग्र जानकारी दी जाएगी।

पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों में विभिन्न सैद्धांतिक और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से उनके लेखन, कौशल, सृजनात्मक क्षमता और विश्लेषणात्मक योग्यता को बेहतर किया जा सके। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को मीडिया उद्योग के विविध आयामों और भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यों की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इससे विद्यार्थी ऐसे ज्ञान, हुनर और प्रशिक्षण से समृद्ध होंगे, जो एक अच्छे पत्रकार और मीडिया जगत का एक अहम हिस्सा बनने के लिए अनिवार्य होता है।

हाल के वर्षों में मीडिया उद्योग नए और व्यापक प्रयोगों का वाहक बना है, जहाँ डिजिटल तकनीक का उच्च स्तर पर प्रयोग हो रहा है। पिछले कुछ साल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर, मीडिया परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन अहम बदलावों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील और सजग बनाना है। पाठ्यक्रम में मीडिया मूल्यों, नागरिक आजादी, पर्यावरणीय संकट और वैज्ञानिक मिजाज को सुदृढ़ करने की ज़रूरतों को खासतौर से केंद्र में रखा गया है।

स्तर	:	स्नातकोत्तर
अवधि	:	दो वर्ष(चार सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30

प्रवेश और अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार

प्रवेश के लिए पात्रता

न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक (विवि की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश में छूट दिया जायेगा।

एमए (मीडिया अध्ययन) 1 वर्षीय पाठ्ययोजना

प्रवेश और अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार
प्रवेश के लिए पात्रता

मीडिया अध्ययन में ऑनर्स अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विवि/संस्थान से जनसंचार/पत्रकारिता में 4 वर्षीय स्नातक। समकक्षता समिति ऐसे संस्थानों की सूची प्रस्तावित और प्रमाणित करेगी।

स्नातक पाठ्यक्रम (बीए-जेएमसी)

यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का है। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की ज़रूरी जानकारी मुहैया कराने के साथ जनसंचार और मास मीडिया के विभिन्न आयामों का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अध्ययन योजना में परंपरागत प्रिंट मीडिया के साथ रेडियो-टीवी, फ़ोटोग्राफी, वैब/ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया प्रबंधन, विज्ञापन व लोक-संपर्क आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। समाचार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पाठ्यक्रम में बुनियादी रूप से शामिल किए गए हैं।

इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी रिपोर्टिंग, लेखन कौशल और संपादन सीखेंगे। भाषा, विशेषकर शब्दों और कैमरे आदि की विजुअल अभिव्यक्ति, के शिक्षण पर अलग से ध्यान दिया जाता है। मीडिया उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को कैमरा, माइक, कम्प्यूटर आदि उपकरणों की तकनीक और संपादन, प्रस्तुतीकरण आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विश्वविद्यालय इसके लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

अंतर-विषयी होने के कारण विद्यार्थियों को भारत और विश्व के इतिहास, समाज, देश और विदेश की राजनीति, विचारधाराएं, विकास, अर्थव्यवस्था, संविधान, कानून, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक समरसता, मानवाधिकार, लैंगिक अध्ययन, भाषा और तकनीक आदि का परिचयात्मक ज्ञान उपलब्ध कराना भी हमारे पाठ्यक्रम का ध्येय है।

यह पाठ्यक्रम पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ठोस भूमिका और पृष्ठभूमि तैयार करेगा। व्यावहारिक पत्रकारिता, मीडिया की नवीन पेशेवर संभावनाओं, उच्च अकादमिक अध्ययन तथा शोध में भविष्य नियोजित करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आधारभूत पाठ्यक्रम योजना सीधे मददगार होगा।

स्तर	: स्नातक
अवधि	: तीन वर्ष (छह सैमेस्टर)
सीट संख्या	: 90
प्रवेश के लिए पात्रता	: मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् 10+2 योजना में 12वीं कक्षा (सीनियर सैकंडरी) या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 48% से उत्तीर्ण हो। विवि की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश में छूट दी जाएगी।

मीडिया स्टडीज में चार वर्षीय बीए-जेएमसी (ऑनर्स)

इस पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष है। इन चार वर्षों के दौरान छात्र प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन और जनसंपर्क के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित होंगे। उनके संचार कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इनके अलावा, पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय समाज, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति, लैंगिक अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उनकी आलोचनात्मक समझ विकसित करना भी है। पाठ्यक्रम को समग्र दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें अनुशासन केंद्रित कोर्सेज, अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक, क्षमता वृद्धि और कौशल विकास से संबंधित कोर्सेज शामिल हैं। इस स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र पत्रकारिता, मीडिया लेखन, रिपोर्टिंग, कैमरा और संपादन तकनीकों की बारीकियों को समझेंगे। पाठ्यक्रम का उद्देश्य उनकी शोध योग्यता में सुधार करना भी है। वे डिजिटल मीडिया साक्षरता सहित सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख पहलुओं के बारे में भी सीखेंगे।

इसके अलावा, यह पाठ्यक्रम छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को भी विकसित करेगा और उन्हें जिम्मेदार मीडिया पेशेवर बनने के लिए तैयार करेगा। यह उन छात्रों के लिए एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार करेगा जो मीडिया अनुसंधान, पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं।

प्रवेश एवं अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार

स्तर : 6

अवधि : 4 वर्ष (8 सेमेस्टर)

सीटें : 30

प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

*छूट: विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार।

डैस्क-टॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) में पीजी डिप्लोमा

मीडिया में कंप्यूटर के हर तरफ जगह बनाने के बाद डैस्क-टॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) और छपाई का महत्त्व तेजी से बढ़ा है। पत्र-पत्रिकाओं, किताबों, विभिन्न प्रयोजनों के कार्ड, स्टेशनरी, कैटलॉग, पैम्फलेट, विज्ञापनों आदि में डीटीपी का उपयोग अब आम हो चुका है। डीटीपी से संबंधित गतिविधियों में डाटा इमेजिंग, बुकबाइंडिंग, प्लेटमेकिंग आदि अनेक कौशल शामिल हैं। विभिन्न संगठनों को अपने प्रकाशनों और ज़रूरी सामग्री की छपाई खुद करने में समय और धन की बचत होती है। पेशेवर शिक्षा के साथ यह पाठ्यक्रम इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाओं के अवसर संभव बनाता है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर व डीटीपी सॉफ्टवेयर की आवश्यक जानकारी और जॉब ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। पाठ्यक्रम में डिजाइनिंग के सिद्धान्तों, टाइपोग्राफी, लेआउट और प्रोडक्शन तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है।

स्तर : पीजी डिप्लोमा

अवधि : 1 वर्ष (दो सेमेस्टर)

सीट संख्या : 30 (स्व वित्तपोषित)

प्रवेश के लिए पात्रता : किसी भी विषय में स्नातक

(यह स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम है। इसके शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं।)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान में समाचारों और सूचनाओं के प्रसार के अत्याधुनिक साधन के रूप में अपनी जगह बना चुका है। ब्रॉडकास्ट उद्योग की तेज रफ्तार, टेलीविजन चैनलों की बढ़ती संख्या, एफएम, पॉडकास्ट और रेडियो यूट्यूब चैनलों आदि के विस्तार ने इस क्षेत्र में रोजगार ने नए अवसर पैदा किए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की स्थापना की गई।

विभाग का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर में शिक्षण और प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। ब्रॉडकास्ट उद्योग की आवश्यकताओं के मुताबिक विद्यार्थियों को रेडियो और टेलीविजन के सभी आयामों से परिचित कराना और ऐसे पेशवर तैयार करना है जो तेजी से बढ़ते इस उद्योग में बड़ी भूमिका निभा सकें।

विभाग के अनुभवी एवं सुयोग्य प्राध्यापकों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र के अकादमिक एवं मीडिया पेशवरों द्वारा यहाँ समय-समय पर संगोष्ठी और विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में ऑडियो और वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। लैब में इंटरनेट के साथ ही आवश्यक सॉफ्टवेयरों के नवीनतम संस्करण भी उपलब्ध हैं।

विभाग के स्टूडियो में समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न प्रारूपों के लिए लेखन, फोटो जर्नलिज़्म, वृत्तचित्र निर्माण, वीडियो संपादन, ऑडियो सम्पादन, लाइट-निर्देशन, लघु फिल्म निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है।

विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित और प्रख्यात फिल्मकारों की फीचर और लघु फिल्मों से परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालय में एक फिल्म क्लब की स्थापना भी की जा रही है, जिससे वे फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझ सकेंगे।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन भी किए जाते हैं। मीडियाफ़ेस्ट के अलावा उन्हें अन्य विश्वविद्यालय की नृत्य कला, पोस्टर मेकिंग, क्विज़, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनकी रचनात्मकता का विकास हो साथ ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान मिल सके।

संस्थान में जनसंचार के सभी क्षेत्रों पर नवीनतम पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के संग्रह के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय है। विश्वविद्यालय की गतिविधियों, विशेष व्याख्यानों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि को विभाग के विद्यार्थियों द्वारा (फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आदि के जरिए) संरक्षित किया जाता है, जिससे अभ्यास में उपयोगी हों और भावी छात्रों के भी काम आए।

विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। इससे विद्यार्थी रेडियो का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। यह रेडियो स्टेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नियमित कक्षाओं के साथ-साथ वैबसाइट पर ई-कॉन्टेंट भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप में सुदृढ़ करने और पेशेवर सोच विकसित करने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में इंटरशिप पर भेजा जाता है, जिससे वे अपनी कमियों को दूर कर क्षमता का विकास कर सकें।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी रिपोर्टर, कैमरापर्सन, प्रोड्यूसर, एंकर, वीजे, आरजे, वीडियो संपादक, लाइटनिर्देशक, फोटो जर्नलिस्ट, न्यूजरीडर इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं।

संचालित पाठ्य-योजनाएँ:

1. एमए-जेएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)
2. फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा
3. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा

1. एमए (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)

यह एक ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम है जो वर्तमान दौर में तेजी से बदलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग के लिए कुशल-प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत को पूरा करता है। टैलिविजन और रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में समाचार संकलन से लेकर प्रभावी प्रस्तुतीकरण के लिए हर विषय का गहनता से शिक्षण और प्रशिक्षण विभाग का लक्ष्य है। यह पाठ्यक्रम चार सैमेस्टर में पूरा होता है, जो युवाओं को पत्रकारिता से परिचित कराने के अपने मुख्य उद्देश्य के साथ निरंतर बदलते टैलिविजन के विभिन्न आयामों पर भी केन्द्रित है। पत्रकारिता के सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान के साथ यह पाठ्यक्रम व्यावहारिक पहलुओं के माध्यम से विद्यार्थियों को टैलिविजन और रेडियो रिपोर्टिंग, पटकथा लेखन, एंकरिंग और प्रोडक्शन करने में निपुणता प्रदान करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग की जरूरतों के लिहाज से युवाओं को समाचार लेखन, फ़ीचर लेखन, वृत्तचित्र एवं लघु फिल्मों के निर्माण में प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक पाठ्यक्रम बनाया गया है। विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए विभाग के पास नवीनतम तकनीक के वीडियो कैमरे, ध्वनि उपकरण और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। विभाग हमेशा विद्यार्थियों को रचनात्मकता के साथ शाब्दिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव की ओर प्रेरित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। पाठ्यक्रम को मीडिया उद्योग की वर्तमान जरूरतों पर केन्द्रित कर व्यावहारिक स्वरूप दिया गया है। दो वर्ष की डिग्री के बाद विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुमुखी क्षेत्रों में दस्तक दे सकते हैं और टैलिविजन और रेडियो के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य बना सकते हैं।

स्तर	:	स्नातकोत्तर
अवधि	:	दो वर्ष (चार सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30

प्रवेश और अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार
प्रवेश के लिए पात्रता

1. किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 48% अंकों (विवि की प्रवेश नीति के अनुसार छूट) के साथ स्नातक
2. एमए (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में निम्न अभ्यर्थियों को लैटरल एंट्री की अनुमति दी जाएगी:

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विवि/संस्थान से जनसंचार/पत्रकारिता में चार वर्षीय स्नातक किया हो. समकक्षता समिति ऐसे संस्थानों/पाठ्ययोजनाओं की सूची प्रस्तावित और प्रमाणित करेगी.
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एचजेयू से मीडिया अध्ययन में चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स पाठ्ययोजना उत्तीर्ण की है और DCC के 12 अतिरिक्त क्रेडिट्स के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुशासन से 48 DCC क्रेडिट्स प्राप्त किए हों.

2. फोटोग्राफी में पीजी डिप्लोमा

इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्देश्य फोटोग्राफी को पेशे या रोजगार के रूप में चुनने वाले विद्यार्थियों को सृजनात्मक और तकनीकी कौशल का उपलब्ध करवाना है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों की जानकारी के साथ लक्षित विषय (ऑब्जेक्ट) के चुनाव में दक्षता, प्रकाश के महत्त्व, इनडोर लाइटिंग की व्यवस्था और पोर्टफोलियो बनाना शामिल है। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि एक छविकार या फोटोग्राफर कल्पनाशील सर्जक होने के साथ-साथ तकनीक का भी ज्ञाता होता है। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का संतुलन रखते हुए विद्यार्थियों को इस तरह दीक्षित किया जाएगा कि वे फोटोग्राफी की रचनात्मक प्रक्रिया को समझ सकें, अपनी शैली और अभिव्यक्ति को विकसित कर सकें और नई डिजिटल तकनीक के अध्ययन के साथ फोटोग्राफी कला को गहराई से जान और समझ सकें। फोटोग्राफी में शौकिया रुझान रखने वालों के लिए भी यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम समान रूप से उपयोगी होगा।

स्तर	:	पीजी डिप्लोमा
अवधि	:	1 वर्ष (दो सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30 (स्ववित्तपोषित)
प्रवेश के लिए पात्रता	:	किसी भी विषय में स्नातक

(यह स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम है। इसके शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं।)

3. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा

यह स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जो देश में रेडियो एवं टेलीविजन उद्योग की कार्यप्रणाली के बारे में विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त दृश्य-श्रव्य स्क्रिप्ट लेखन, कैमरा संचालन एवं वीडियो संपादन में विद्यार्थी को निपुण बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हालांकि यह कार्यक्रम तैयार करने के दौरान सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान में संतुलन बनाया गया है, फिर भी विद्यार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के महत्वाकांक्षी लोगोंके लिए परियोजना कार्य जरूरी किया गया है। यह कार्यक्रम एक विद्यार्थी के लिए रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रम निर्माता, पटकथा लेखक, नए मीडिया के लिए कंटेंट जनरेटर, सिनेमैटोग्राफर, वीडियो संपादक और एक यूट्यूबर के रूप में कार्य करने की राहें खोलता है। इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है।

स्तर	:	डिप्लोमा
अवधि	:	1 वर्ष (दो सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30 (स्ववित्तपोषित)
प्रवेश के लिए पात्रता	:	किसी भी विषय में स्नातक

(यह स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम है। इसके शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं।)

न्यू मीडिया विभाग

समकालीन दौर को सूचना समाज के रूप में भी चिह्नित किया जाने लगा है और यह सूचना समाज जिस मीडिया प्रौद्योगिकी से निर्मित होता है, वह नया मीडिया है। नवतर मीडिया की सामग्री (कंटेंट) का निर्माण, प्रसारण और उपभोग डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस नए मीडिया की प्रमुख विशेषता है अभिसरण (कन्वर्जेन्स)। मीडिया अभिसरण के इस दौर में डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने जैसे सभी संचार माध्यमों को अपने भीतर समाहित कर लिया है। माध्यम जनित विशिष्टताओं के साथ-साथ इसने समकालीन राजनीति, समाज, कला और संस्कृति में नई हलचल पैदा की है और वाणिज्य और व्यापार के तौर-तरीकों को भी गहरे प्रभावित किया है।

इस नए मीडिया के विकास-क्रम, स्वरूप और व्यवहार को समझकर ही इसके लिए बेहतर कौशल अर्जित किया जा सकता है और इससे जुड़े विमर्श में योगदान किया जा सकता है। नवतर मीडिया के दो प्रमुख स्तंभों ऑनलाइन अथवा वैब पत्रकारिता और सोशल मीडिया का एक सुगठित और सुचिंतित अकादमिक परिवेश में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में नव मीडिया विभाग की स्थापना की गई है।

इस विभाग के गठन के जरिए हमारी कोशिश है कि इसे नव मीडिया संचार, ऑनलाइन पत्रकारिता, सोशल मीडिया और साइबर संस्कृति के विभिन्न आयामों के न सिर्फ परिचयात्मक और पेशेवर अध्ययन बल्कि गंभीर अकादमिक विमर्श के केंद्र के रूप में भी विकसित करें।

इस विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन वैब पत्रकारिता की मल्टी मीडिया प्रवृत्तियों और प्रस्तुति से जुड़े बदलावों को रेखांकित करते हुए विभागीय पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष में सोशल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्य योजना प्रारंभ की गई थी। विद्यार्थियों के बीच इसकी लोकप्रियता और पेशेवर प्रासंगिकता को देखते हुए इस वर्ष से सोशल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्य-योजना शुरू की जा रही है।

नए मीडिया पर्यावरण में आए दिन कुछ नया जुड़ रहा है- नया सोशल नेटवर्क, नई वैबसाइट, नया चैनल, नया ऐप या किसी नए डिजिटल टूल या नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार। हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भविष्य में डिजिटल मीडिया का क्या स्वरूप होगा। ये कितना गत्यात्मक और बहुआयामी होगा और निजी संचार से लेकर जनसंचार तक में इसकी उपस्थिति और भूमिका कितनी प्रभावशाली होगी। विभाग का प्रयास है कि उद्योग जगत में हो रहे नवाचारों के अनुरूप नियमित रूप से संसाधनों और पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया जाए। नए मीडिया की सांगठनिक, प्रबंधन और पेशेगत आवश्यकताओं और मीडिया उत्पादन और मीडिया प्रसारण में भावी संभावनाओं को देखते हुए ये विभाग और भी नयी पाठ्य योजनाएं संचालित करने की संभावनाओं पर विचार कर सकता है।

नव मीडिया की राजनीतिक- आर्थिक और सामाजिक विमर्श के लिए जगह और साइबर संस्कृति के बारे में समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का निर्माण भी इस विभाग का उद्देश्य है। इसलिए विभाग अंतर-विषयक दृष्टि में विश्वास करता है। विभाग उद्योग और अकादमिक समन्वय के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए पेशेवर और विषय विशेषज्ञों

को समय-समय पर विद्यार्थियों से रूबरू कराने के लिए प्रयासरत रहेगा। विभाग का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वो इस क्षेत्र में शोध के इच्छुक विद्यार्थियों को समुचित पाठ्य-सामग्री, दृष्टिबोध और शोध पर्यावरण मुहैया कराने में मददगार हो।

संचालित पाठ्य-योजना : एमए (न्यू मीडिया)

एमए (न्यू मीडिया)

पिछले एक दशक में दुनिया में और भारत में भी सोशल मीडिया संवाद, सूचना और नैटवर्किंग के एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। आम जन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों और कार्यकर्ताओं, लेखकों-पत्रकारों, समाजशास्त्रियों, नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों आदि ने और उद्योग-व्यवसाय के साथ संस्थाओं और समूहों ने ब्लॉग, पॉडकास्ट, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट्सऐप, स्नैपचैट आदि प्लेटफॉर्म को अपनी अभिव्यक्ति और संवाद-संपर्क का माध्यम भी बनाया है।

नए डिजिटल माध्यमों खासकर सोशल मीडिया ने संचार के लोकतंत्रीकरण के साथ नागरिकों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने उन समुदायों को भी अभिव्यक्ति का अवसर दिया है जिनकी आवाज़ मुख्यधारा के मीडिया में कम या नहीं सुनाई देती थी। इन नए डिजिटल माध्यमों के कारण नागरिकों के लिए सरकार और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना संभव हुआ है। दूसरी ओर, इन नए डिजिटल माध्यमों के कारण शासन और प्रशासन भी नागरिकों की आवाज़ के प्रति ज्यादा संवेदनशील हुए हैं।

नए माध्यमों में इंटरनेट या वैब आधारित ऑनलाइन पत्रकारिता ने आज अलग अहमियत हासिल कर ली है। इस माध्यम ने प्रिंट ही नहीं, रेडियो और टीवी के समक्ष भी एक असरदार चुनौती उपस्थित की है। दुनिया के अनेक विकसित देशों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार माध्यम आम लोगों के लिए सूचना और समाचार के प्राथमिक माध्यम हो गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भी यह प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। कम साधनों में समाचार पोर्टल, वैब पत्रिकाएँ, अखबारों, न्यूज चैनलों और मीडिया संगठनों की वैबसाइट ऑनलाइन संस्करण और यूट्यूब चैनल आदि तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं।

इसके कारण पत्रकारिता के तौर-तरीकों में भी काफी बदलाव आए हैं। नए डिजिटल माध्यमों में पारम्परिक माध्यमों के समाहित होते जाने के कारण पत्रकारिता में प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल के बीच का फर्क बेमानी-सा होता जा रहा है। समाचार-कक्षों का एकीकरण हो रहा है, सम्पादकीय टीम की भूमिकाएं बदल रही हैं और तकनीकी कौशल की मांग बढ़ रही है। हालाँकि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत, नैतिक मूल्य और सामाजिक भूमिकाओं में कोई बदलाव नहीं आया है लेकिन नए डिजिटल माध्यमों के कारण समाचारों के संग्रह, संपादन और प्रस्तुति में निश्चय ही बड़े बदलाव आए हैं। मल्टी-मीडिया समाचार प्रस्तुति पर जोर बढ़ रहा है। मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) एक नई विधा के रूप में भर रही है।

लेकिन नए डिजिटल माध्यमों खासकर सोशल मीडिया और सोशल मैसेजिंग - वॉट्सऐप, टेलिग्राम आदि ने जहाँ एक ओर संचार और मीडिया के दायरे का लोकतंत्रीकरण किया है, वहीं निहित स्वार्थी तत्त्वों खासकर राजनीतिक समूहों और ट्रॉल्स के लिए स्पेस मुहैया करा दी है, जो उसका इस्तेमाल अफवाहें, झूठी खबरें और नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। इसने न सिर्फ सार्वजनिक फलक को पेचीदा बना दिया है बल्कि समाज और सरकारों के सामने सामाजिक सौहार्द, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी चुनौती पैदा कर दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल

माध्यमों ने दुष्प्रचार और झूठ के मुकाबले के लिए उसकी जांच करने वाले "फैक्टचेकर्स" की एक नई विधा और पौध भी पैदा कर दी है।

सूचना तकनीक में क्रांति और विस्तार के साथ मीडिया परिदृश्य में आए इन बदलावों और उससे पैदा हुई जरूरतों ने मीडिया और मीडियाकर्मियों के लिए अभिव्यक्ति और रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा किए हैं। इस धारा में आगे और नए डिजिटल माध्यम सामने आएंगे। इनके लिए नए माध्यमों की गहरी समझ और तकनीकी कौशल का ज्ञान जरूरी है। इसी प्रयोजन से सोशल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता में यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

हमारी शिक्षण पद्धति ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देती है। हमारा प्रयास तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के साथ पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों, मीडिया कानून और आचार-संहिता आदि के बारे में विद्यार्थियों में समालोचनात्मक समझ विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी लेखन और संपादन के साथ ही तकनीकी प्रस्तुतीकरण भी सीख सकेंगे। मीडिया व्यवसाय, स्वामित्व, प्रबंधन, उद्यमिता, जनसंपर्क, विज्ञापन, सोशल मीडिया इंजमेंट और मार्केटिंग का अध्ययन भी इस पाठ्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को नए माध्यमों में पारंगत होने की क्षमता ही नहीं प्रदान करता, बल्कि अपने मीडिया उद्यमों की संभावनाएँ खोजने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भी प्रेरित करता है।

स्तर	:	स्नातकोत्तर
अवधि	:	दो वर्ष(चार सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30

प्रवेश और अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार

प्रवेश के लिए पात्रता

1. किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 48% अंकों (विवि की प्रवेश नीति के अनुसार छूट) के साथ स्नातक
2. लैटरल एंट्री: एमए (न्यू मीडिया) में लैटरल एंट्री के लिए निम्न अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाएगी:
ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विवि/संस्थान से जनसंचार/पत्रकारिता में चार वर्षीय स्नातक किया हो. समकक्षता समिति ऐसे संस्थानों/पाठ्ययोजनाओं की सूची प्रस्तावित और प्रमाणित करेगी.

मीडिया संगठन और जनसंपर्क विभाग

मीडिया संगठन और जनसम्पर्क विभाग

मीडिया का संगठनात्मक ढाँचा, उसमें व्यवहारपरक पैटर्न, जनसम्पर्क, कॉर्पोरेट संचार, विज्ञापन आदि मीडिया अध्ययन के महत्वपूर्ण आयाम हैं। इनकी अकादमिक समझ और व्यावसायिक दक्षता विकसित कराने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के साथ ही मीडिया संगठन, विज्ञापन और जनसम्पर्क विभाग का गठन किया है। अपने पाठ्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को मीडिया-संगठन की बारीकियों से परिचित कराते हुए विभाग उनमें प्रबंधकीय, व्यवहारपरक और संप्रेषणीय दक्षता विकसित करने के लिए प्रयासरत है। पहले ही सत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में भी इससे संबंधित विषय शामिल किए गए हैं।

विद्यार्थियों के लिए मीडिया, मनोरंजन और विज्ञापन के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। हम अपने विद्यार्थियों को सर्वांगीण पेशेवर बनाना चाहते हैं। वे विभिन्न मीडिया संगठनों, उनकी संरचना, स्वामित्व, राजस्व के मॉडल और मीडिया से संबंधित नैतिक मुद्दों आदि के प्रति जागरूक बनें। वे सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लैंगिक संवेदनशीलता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण संचार, सामाजिक गतिशीलता आदि को भी समझें। इससे उनमें आलोचनात्मक समझ और संवेदनशीलता विकसित होगी।

विद्यार्थियों के लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए हम विशेषज्ञों का एक समूह तय कर रहे हैं जो मीडियाकार्मियों, पेशे के लोगों, जानकारों और शिक्षकों का एक विशेष संयोजन होगा। ये विशेषज्ञ विद्यार्थियों को उन बारीकियों से अवगत कराएंगे जो कॉपी लेखन और पीआर लेखन आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस निमित्त उन्हें मौखिक और साथ ही गैर-मौखिक प्रस्तुति विधाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा।

विज्ञापन की रचनात्मक दुनिया में दृश्य-विधान यानी विजुअलाइजेशन के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। विजुअल स्टोरी टैलिंग को जनसम्पर्क का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। हमारे कंप्यूटर लैब में ग्राफिक डिजाइन और एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध भी हैं। विद्यार्थी विजुअलाइजेशन तकनीक को प्रयोग में लाते हुए इन ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीखेंगे।

विश्वविद्यालय के स्टूडियो के जरिए विद्यार्थियों को प्रोडक्शन और संपादन के तकनीकी पहलुओं से परिचित कराया जाएगा। विद्यार्थी स्क्रिप्ट लेखन, फोटोग्राफी की मूल अवधारणा, कैमरा तकनीक, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मिश्रण, संपादन आदि सीखेंगे।

किसी भी विभाग को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करना पड़ता है। भविष्य में विभाग विज्ञापन और जनसम्पर्क के क्षेत्र में और नए पाठ्यक्रम लेकर आएगा, जो न केवल विद्यार्थियों के लिए होंगे बल्कि उन पेशेवर लोगों के लिए भी उपयोगी होंगे, जो मीडिया उद्योग में काम करते हुए अपने मौजूदा ज्ञान और कौशल को और बढ़ाना चाहते हैं।

इसके निमित्त हम कॉपी राइटिंग / क्रिएटिव राइटिंग, मीडिया ऑर्गनाइजेशन एंड प्लानिंग, क्लाइंट सर्विसिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, पीआर स्किल्स, ब्रांड कम्युनिकेशन, कैंपेन प्लानिंग आदि के आधार पर लघुपाठ्यक्रम तैयार करेंगे। हमारा विभाग कार्यशाला, संगोष्ठी आदि का आयोजन करके अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।

विज्ञापन-क्लब स्थापित करना भी विभाग के मुख्य लक्ष्यों में से एक है, जो सभी को विमर्श का एक खुला मंच प्रदान करेगा। यह विज्ञापन-क्लब क्षेत्र के पेशेवरों का एक नेटवर्क बनाने में मदद करेगा और इस प्रकार छात्रों को पेशेवर दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। विभाग के तहत पीआर लैब की भी स्थापना की जाएगी जो विद्यार्थी को अपने ज्ञान को कौशल से एकीकृत करने में मदद करेगा। इसमें विद्यार्थी मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिमुलेशन गतिविधियों आदि के माध्यम से पीआर उपकरणों और कौशल के व्यावहारिक पहलुओं को सीखेंगे। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंटरशिप के लिए भेजा जाएगा। इंटरशिप के दौरान वे मीडिया के विविध क्षेत्रों की जरूरतों को समझेंगे और तदनुसार अपनी क्षमता का विस्तार करेंगे।

विभाग के तहत ऑडियो-विजुअल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना भी है, जो लोकप्रिय और पुरस्कृत विज्ञापन और जनसम्पर्क अभियानों का एक विस्तृत संग्रह होगा। अवलोकन और गहन विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थी इन अभियानों का निर्माण करना सीखेंगे।

विभाग से शिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के लिए विज्ञापन, मीडिया प्रबंधन और जनसम्पर्क के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। मीडिया प्लानर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, कॉपीराइटर, क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव, क्रिएटिव डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, पीआर कंसल्टेंट, ऑनलाइन ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट विद्यार्थियों के लिए रोजगार के कुछ प्रमुख अवसर हैं।

संचालित पाठ्य-योजना: एमए (विज्ञापन एवं जनसम्पर्क)

एमए (विज्ञापन और जनसम्पर्क)

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंपर्क और विज्ञापनसम्बन्धी कार्यों के बारे में विद्यार्थियों की समझ विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम में जनसंपर्क और विज्ञापन की बुनियादी और समकालीन अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इन दो वर्षों के दौरान विद्यार्थियों को मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे बिजनेस मॉडल, ग्राफिक्स और लेआउट डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रसारण, कॉपी लेखन, संपादन, मीडिया योजना, शोध, अभियान तैयारी और ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन आदि से अवगत कराया जाएगा।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र- छात्राओं को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। उनमें व्यावहारिक प्रशिक्षण आलोचनात्मक दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को भी विकसित करेगा। यह पाठ्यक्रम उनमें विज्ञापन एवं जनसंपर्क उद्योग के लिए जरूरी संचार और रचनात्मक कौशल विकसित करेगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ रोजगार के योग्य बनाना नहीं, बल्कि उनको मीडिया जगत से संबंधित नैतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना भी है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर और कैमरे के तकनीकी आयामों से भी अवगत कराया जाएगा। व्यावहारिक ज्ञान के लिए केस स्टडी, मीडिया उद्योग के साथ तालमेल और ग्रुप प्रोजेक्ट्स का उपयोग किया जाएगा।

स्तर	:	स्नातकोत्तर
अवधि	:	दो वर्ष (चार सैमेस्टर)
सीट संख्या	:	30

प्रवेश और अन्य सामान्य प्रावधान

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार

प्रवेश के लिए पात्रता

1. किसी भी अनुशासन में न्यूनतम 48% अंकों (विवि की प्रवेश नीति के अनुसार छूट) के साथ स्नातक
2. **लैटरल एंट्री:** एमए (एपीआर) में निम्न अभ्यर्थियों को लैटरल एंट्री की अनुमति दी जाएगी:
 - a. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विवि/संस्थान से जनसंचार/पत्रकारिता में चार वर्षीय स्नातक किया हो. समकक्षता समिति ऐसे संस्थानों/पाठ्ययोजनाओं की सूची प्रस्तावित और प्रमाणित करेगी.
 - b. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एचजेयू से मीडिया अध्ययन में चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स पाठ्ययोजना उत्तीर्ण की है और DCC के 12 अतिरिक्त क्रेडिट्स के साथ विज्ञापन और जनसंपर्क अनुशासन के 48 DCC क्रेडिट्स प्राप्त किए हों.

विकास संचार विभाग

सतत विकास के उद्देश्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी संचार बहुत महत्व रखता है। पिछले कुछ विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनमाध्यमों—टेलीविजन, अखबार, रेडियो और अब इंटरनेट आदि—की जरूरत और उन पर निर्भरता भी बढ़ी है। विकास के वैकल्पिक विमर्श को तरजीह दी जाने लगी है। विकास के पैमाने जहाँ बदल रहे हैं, वहीं विकास में स्थानीयता और सामुदायिक हितों को भी प्राथमिकता दी जाने लगी है।

हमारे विश्वविद्यालय में संचालित विकास-संचार विभाग का उद्देश्य विकास की सैद्धांतिकी और इसके व्यावहारिक पहलुओं के बीच एक संवाद बनाना है। स्थानीय जरूरतों और विकास के नियोजन के प्रति सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना है। हमारे विभाग से शिक्षित-प्रशिक्षित विद्यार्थी इस कड़ी का एक अनिवार्य माध्यम होंगे।

भारी औद्योगिकीकरण ही विकास का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। सत्तर के दशक में शुरू हुए विकास के वैकल्पिक प्रयासों ने एक नए क्षितिज का निर्माण किया, जिसमें प्रभुत्वशाली संरचना को चुनौती दी गई। एक बेहतर भविष्य के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान को नए सिरे से जाँचा परखा गया। सामाजिक रूपांतरण में संचार की एक नई भूमिका की परिकल्पना की जाने लगी।

विकास संचार में विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का हुनर विकसित किया जाता है। विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करने में दक्ष बनाया जाएगा। साथ ही विकास के नियोजन में उनके मौलिक सोच को विकसित किया जाएगा।

इस विभाग में विद्यार्थियों को खासतौर से विकास आधारित मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने की प्रविधि सिखाई जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वॉर्मिंग, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, नई अर्थव्यवस्था आदि मुद्दों की गहन समझ साझा की जाएगी। सामुदायिक विकास में संचार के महत्व से उन्हें अवगत कराया जाएगा ताकि वे स्थानीय विकास की जरूरतों से जुड़ सकें। विद्यार्थी नीति-निर्धारण में दक्ष हो सकें और विकास के क्षेत्र में कुछ बुनियादी योगदान दे सकें, इसके लिए भी उन्हें तैयार किया जाएगा।

विभाग में विकास संचार संबंधी विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, विकास योजनाओं को अमल में लाने वाले नौकरशाह, गैर-सरकारी संगठनों के नियोजनकर्ता और पत्रकार शामिल होंगे। ये विशेष व्याख्यान विद्यार्थियों को विकास संचार के क्षेत्र में अनुकरणीय कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस विभाग का शोध कार्य उल्लेखनीय होगा। विकास से संबंधित विभिन्न शोध परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और व्यावहारिक समस्याओं के प्रति निर्णायक परिणाम हासिल करने के लिहाज से शोध परियोजनाओं का स्वरूप निर्धारित किया जाएगा। विभिन्न अकादमिक संस्थाओं और सरकारी क्षेत्रों के लिए ऐसी नवोन्मेषी शोध परियोजनाएँ परिकल्पित की जाएँगी, जो समुदाय, गाँव और शहर के स्तर पर जरूरी समाधान का संधान कर सकें। शोध परियोजनाएँ विभाग के स्तर पर भी संचालित होंगी जिसमें शोधार्थियों को अहम अवसर मिलेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संरचना की संपूर्ण जानकारी देने के लिए विद्यार्थियों को विभाग की तरफ से गाँव का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस क्रम में राजस्थान के गाँवों पर विशेष दृष्टि होगी। ग्राम-स्वराज, पंचायती राज, सूचना के अधिकार आदि की प्रक्रियाओं और प्रारूप को समझने पर जोर होगा। विद्यार्थियों को ग्रामीण जरूरतों और स्वायत्तता की महत्ता को रेखांकित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

विकास-संचार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना एक अहम दायित्व है। इस लिहाज से विद्यार्थियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की जरूरत और उनके क्रियान्वयन में बाधाओं से निपटने के लिए संचार की भूमिका के आलोचनात्मक परीक्षण शिक्षा भी दी जाएगी।

संचालित पाठ्य-योजनाएँ :

1. एमए (विकास संचार)
2. पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन

1.एमए (विकास संचार)

विकास संचार और सामाजिक कार्य के इस संयुक्त अध्ययन में एक दोहरी नवीनता निहित है। इस तरह के पाठ्यक्रम की संकल्पना संभवतः पहली बार की गई है। दूसरे, इसके जरिये दोनों विचारों के वैश्विक और राष्ट्रीय इतिहास की रोशनी में विकास की मौजूदा अवस्था और उसमें संचार की भूमिका के परस्पर निर्भर सूत्रों पर एक गहरी निगाह डालने का मौक़ा मिलता है। विकास की आधिकारिक परिभाषा पश्चिम के युद्धोत्तर काल की प्रगति के आर्इने में गढ़ी गई थी। एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमेरिका के देशों ने अपने आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पाने और आधुनिकता के युग में समस्याहीन ढंग से छलांग लगाने के लिए इस थमाये गये विचार को अपनाया। शुरुआती दौर में यह मॉडल उन देशों में थोड़ा कामयाब भी रहा, लेकिन जल्दी ही वह एक ऐसे व्यावहारिक और सैद्धांतिक संकट में फँस गया जिससे वह आज तक पूरी तरह नहीं उबर पाया है। लेकिन, इससे पहले कि विकास के इस पश्चिमी मॉडल का अंत होता, भूमंडलीकरण ने इसे नया जीवन दे दिया। इस बार इसका आगमन संचार-क्रांति पर सवार होकर हुआ।

उत्तर-औपनिवेशिक भारत ने भी विकास के नए रास्ते पर चलने की योजना पर अमल किया। आधुनिक विकास की इस मुहिम में जनता की जरूरतों को समझने तथा राष्ट्रीय योजनाओं पर आम सहमति तैयार करने के लिए संचार का एक देशव्यापी नेटवर्क तजवीज़ किया गया। मानव विकास की इस सूचना-बहुल रणनीति का दारोमदार मानव संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने और उन्हें कारगर बना सकने वाली प्रक्रियाओं की खोज व क्रियान्वयन पर टिका था। इस अर्थ में समाज में सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए संचार की एक आधारभूत संरचना का निर्माण एक जरूरी क़दम था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय राज्य ने सघन उद्योगीकरण का रास्ता अपनाया। इसमें कोई शक नहीं कि विशाल आबादी और अपरम्पार बहुलता से सम्पन्न पारम्परिक समाज के जटिल परिदृश्य को देखते हुए भारतीय राज्य द्वारा चुना गया विकास का यह रास्ता प्रशंसनीय उपलब्धियों से भरा है। कहना न होगा कि इस मामले में वह राजकीय क्षेत्र पर अतिनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी में सुस्ती तथा व्यवस्थागत अड़चनों से भी ग्रस्त रहा है। लेकिन, इस एजेंडे पर चलने के लिए भारतीय राज्य के पास लोकोपकारी नीतियों का एक सकारात्मक एजेंडा था, इसलिए इन दिक्कतों के बावजूद राष्ट्रीय उत्साह पर कोई आँच नहीं आई। परिणामस्वरूप भारत अंतर-राष्ट्रीय मंच पर एक सम्मानजनक स्थान ग्रहण करने में सफल रहा।

एक अर्थ में दुनिया के अन्य देशों के बरक्स भारत का यह अनुभव अनूठा कहा जा सकता है, क्योंकि विश्व के अन्य नव-स्वाधीन देश न पूँजीवादी वृद्धि का पर्याप्त स्तर छू पाए, न ही सामाजिक न्याय की नींव रख पाए। उन देशों में विकास की रणनीति के इस स्याह पक्ष को देख कर भारत में भी विद्वानों को जीवन की प्रकृति-सम्मत शैली और पारम्परिक विवेक की ओर मुड़ना पड़ा। इस मुकाम पर गाँधी, विनोबा, नेहरू, अम्बेडकर से लेकर पाउलो फ़ेरे, इवान इलिच, मिशेल फ़ूको, वोल्फ़गांग सक्स और आर्टुरो एस्कोबर जैसी विभूतियों द्वारा मुहैया कराये गये बुनियादी पाठों ने प्रमुख भूमिका निभाई।

हमारा यह पाठ्यक्रम ऐसा द्विआयामी अध्ययन है जो सामाजिक विकास और संचार के संदर्भ में मौजूदा दुनिया और उसकी वैश्विक राजनीति की चुनौतियों की एक गहरी समझ से लैस करता है। इसके जरिये छात्रों को अप-विकास, जलवायु-विशिष्टता आधारित खेती, छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों की व्यथा, पृथ्वी के साझे तंत्र की व्यवस्था से संबंधित संकल्पनाओं, पारिस्थितिकीय आधुनिकता, हरित अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, अवरोही वृद्धि, प्राकृतिक स्वराज, लघुता की महत्ता, पारिस्थितिकीय लोकतंत्र तथा ऐसे ही अन्य विकल्पों की जानकारी मिलती है। यह पाठ्यक्रम इच्छुक विद्यार्थियों के लिए संकेत भी छोड़ता है कि तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों की स्वास्थ्य-व्यवस्था जनता की जरूरतों का यथोचित हल क्यों नहीं ढूँढ़ पाती? वहाँ का चुनाव-तंत्र सामाजिक ऊँच-नीच की ताकतों के बीच क्यों फँस गया है? प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता क्रांति का पूर्ण मकसद क्यों हासिल न कर सकी, और तीसरी दुनिया के देश और समाजों में विषमता की संरचनाएँ इतनी ताकतवर क्यों दिखाई देती हैं?

इस संबंध में सामाजिक सेवा-कार्यों और संचार के बढ़ते दायरों की ओर ध्यान देना जरूरी है। सामाजिक संगठनों का अनुशासन विकास के लाभों को नियोजित ढंग से आम लोगों तक पहुँचाने में सुनिश्चित भूमिका निभा सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी संगठन और तरह-तरह के सामाजिक आंदोलन इस कार्य में लगे हुए हैं। विकास के संदर्भ में सामाजिक कार्य एक बहुत बड़ी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जरिये सकारात्मक वैकासिक लक्ष्य वेधे जा सकते हैं।

मीडिया की नयी प्रौद्योगिकी के प्रभाव में विकास का समग्र विचार एक नये परिप्रेक्ष्य में प्रवेश पा चुका है। तकनीक के क्षेत्र में विकसित होती नयी सम्भावनाओं के सहारे समतावादी लक्ष्यों की अधिक उपलब्धि और जातिगत अवरोधों व साम्प्रदायिक दकियानूसी के परे जाने की उम्मीद बँधती दिखाई देती है। जाहिर है कि एक न्यायोचित और सेकुलर समाज की सम्भावना तब तक मूर्त नहीं हो सकती, जब तक संचार की नयी सैद्धांतिकी एक बेहतर दुनिया की संभावनाएं उपस्थित नहीं करती। हमारे मौजूदा परिदृश्य में यह दोहरा पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में संचार के ऐसे ही जरूरी क्षितिजों का संधान करता है।

स्तर : स्नातकोत्तर अवधि : दो वर्ष (चार सैमेस्टर)
सीट संख्या : 30 प्रवेश पात्रता : न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक

पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन

जनस्वास्थ्य और जनसंचार के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुमूल्य विकल्प है। यह उन्हें जनस्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों के बारे में जानने एवं इनके प्रभावी संचारण करने में सहायक होगा। साथ ही यह जन स्वास्थ्य संचार की योजनाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण होगा। जनस्वास्थ्य से क्षेत्र में मीडिया का क्या योगदान है और कैसे दोनों संयुक्त रूप से स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जनस्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं यह भी विद्यार्थियों को सीखने को मिलेगा।

आजीविका और इसमें बढ़ोतरी की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मार्ग प्रशस्त होंगे जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं – सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी संस्थाओं में स्वास्थ्य संचारक, वे पत्रकार, जन संपर्क पेशेवर एवं विपणन (मार्केटिंग) विशेषज्ञ इत्यादि।

पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन

स्तर : स्नातकोत्तर अवधि : एक वर्ष (दो सैमेस्टर)
सीट संख्या : 30 प्रवेश के लिए पात्रता : किसी भी विषय में स्नातक
(यह स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम है। इसके शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं।)

शोध केन्द्र और पीएच-डी पाठ्ययोजना

विश्वविद्यालय में अपना शोध केंद्र स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत 2021 में पीएचडी पाठ्ययोजना प्रारंभ किया गया है। अभ्यर्थियों का प्रवेश और पात्रता आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के अनुसार होगा।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण के माध्यम से मौलिक शोध को बढ़ावा देना है। यह शोध पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए नई संभावनाएं प्रदान करेगा जो मीडिया उद्योग और इसकी अकादमिक धाराओं पर गहन अध्ययन करना चाहते हैं।

प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को शोधार्थी के रूप में पंजीकरण से पहले छह महीने का कोर्स वर्क करना होगा। इस कोर्स वर्क के दौरान शोधार्थी पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित शोध प्रविधियों और अनुसंधान की प्रवृत्तियों से परिचित होंगे। इस अवधि के दौरान शोधार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञों के विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।

वर्तमान समय में शोध केंद्र में 13 पीएचडी शोधार्थी पंजीकृत हैं, जो शोध कार्य में सक्रिय हैं। साथ ही, 12 नए शोधार्थी अभी हाल ही में प्रवेश लिए हैं, जिनका कोर्स वर्क जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले शोध के लिए विवि द्वारा स्थापित शोध केंद्र से अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं।

विवि द्वारा पत्रकारिता में डिग्री प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में पहली पीएचडी डिग्री का अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीर, प्रासंगिक और नीतियों को प्रभावित करने वाले शोध के प्रोत्साहन के लिए शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। विवि के शोध उन्मुखी अकादमिक विज्ञान को मजबूत करने और शोध पहलकदमियों की उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुस्तकालय

प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय बौद्धिक विकास और विमर्श का केंद्र और ज्ञान का भंडार होता है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के विकास में अहम भूमिका अदा करता है। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय अपने समृद्ध पुस्तकालय के बल पर उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर उभरने का प्रयास कर रहा है जहाँ समकालीन पुस्तकों और अध्ययन सामग्री और दृश्य-श्रव्य सामग्री के साथ-साथ दुर्लभ कृतियों के संचयन का प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ मीडिया से संबंधित किताबों और अध्ययन सामग्री के अलावा कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, संचार शोध, सिनेमा अध्ययन, विकास, पर्यावरणीय मुद्दों, विज्ञापन और जनसंपर्क समेत अंग्रेजी और हिंदी साहित्य सामग्री उपलब्ध हैं। सांस्थानिक खरीद के अलावा पुस्तकालय की ओर से जन-सहयोग, प्रतिष्ठित पत्रकारों और जनसंस्थानों से पुस्तकें और दृश्य-श्रव्य सामग्री जुटाने का उद्यम भी किया जाता रहा है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित विषयों की लगभग 4700 किताबें हैं। आवश्यकता और सुझावों के अनुरूप किताबें और संदर्भ सामग्री समय समय पर क्रय की जाती हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के प्रतिष्ठित समाचार-पत्र और सम-सामयिक विषयों की लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएं भी नियमित तौर पर पुस्तकालय में उपलब्ध रहती हैं। विश्व विद्यालय के नवीन परिसर में लाइब्रेरी के लिये विशालकक्ष और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रीडिंग रूम की अलग से व्यवस्था की है। नई शिक्षा नीति के तहत ई-लाइब्रेरी की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों को डिजिटल माध्यम में भी पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री और पाठेतर सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

प्लेसमेंट सेल

मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और तत्संबंधी प्रशिक्षण के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (एचजेयू) में एक प्लेसमेंट और प्रशिक्षण सेल कार्यरत है। यह सेल जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, समाचार चैनलों, जनसंपर्क एजेंसियों, विज्ञापन एजेंसियों, एफएम रेडियो, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मस आदि में विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों की पहचान करती है। सेल परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के लिए तैयार कर उनको मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरशिप और नौकरियां दिलवाने में मदद करती है। प्लेसमेंट सेल विद्यार्थियों और नियोक्ता कंपनियों का डेटाबेस तैयार करती है। प्लेसमेंट के लिए पात्र विद्यार्थियों की विभागवार सूची तैयार कर मीडिया के विभिन्न संगठनों में उनके लिए रोजगार के अवसरों की सूचना जुटाती है। रोजगार संबंधी सूचना नोटिस बोर्ड, वेबसाइट आदि के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाती है। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सैमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जनवरी से मार्च के दौरान प्लेसमेंट की संभावना वाले मीडिया संस्थानों से आमंत्रित पेशेवरों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। अप्रैल माह में शैक्षणिक परिसर में विभिन्न मीडिया संस्थानों को प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित किया जाता है। विश्वविद्यालय से पढ़ चुके विद्यार्थी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ ही विभिन्न समाचार चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मस के लिए कार्य कर रहे हैं।

समझौते

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विवि, जयपुर ने निम्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं:

1. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय , जोधपुर
2. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय , अजमेर
3. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ पोलिस, सिक्कुरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, जोधपुर
4. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय , भोपाल
5. जोधपुर स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, जोधपुर
6. मोबिलाईट फाउंडेशन, नई दिल्ली
7. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)
8. संयुक्तराष्ट्र (UN) के माध्यम से संयुक्तराष्ट्र वैश्विक संचार विभाग (DGC) के साथ समझौता
9. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय , सीकर
10. OW डाटालीड्स प्राइवेट लिमिटेड
11. डेवकॉम भारत, ऑल इंडिया रेडियो में ससटेनिबिलिटी कर्मा पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर
12. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

एचजेयू और अन्य विश्वविद्यालयों से हुए समझौते पत्रों में उल्लेख है कि वे आपस में शिक्षण और शोध गतिविधियों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। साथ ही, वे कौशल आधारित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण,

अल्पावधि के विशेष अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन, शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक संसाधनों को साझा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे।

एचजेयू और जोधपुर स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, जोधपुर के बीच हुए समझौते पत्र का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के समाज में योगदान को रेखांकित करने के लिए साझा प्रयासों और उसकी महत्ता पर ज़ोर देना है। दोनों संस्थान फैकल्टी और विद्यार्थियों के स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय शिक्षण और शोध अनुभवों को समृद्ध करते हुए, इन क्षेत्रों में एक दूसरे को परस्पर मजबूत करने के इच्छुक हैं।

यूएनएफपीए और एचजेयू के बीच समझौते पत्र के अनुसार दोनों संस्थान युवा पत्रकारों, मीडिया के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए सतत विकास लक्ष्य, जेंडर संवेदनशील रिपोर्टिंग और सामाजिक विकास आंकड़ों के बारे में क्षमता निर्माण के लिए साझे तौर पर कार्य करेंगे। UN Department of Global Communications (DGC) के साथ विवि का 'प्रसारण समझौता' सम्पन्न हुआ है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से संयुक्तराष्ट्र के कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विवि, सीकर और हरिदेव जोशी विवि के बीच समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य साझे शिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक कर्मचारियों के पेशेवर विकास, शिक्षण सामग्रियों के निर्माण और अल्प अवधि के विशेष अकादमिक कार्यक्रम आदि के निर्माण संचालन पर सहमति बनी है। OW DataLEADS के साथ MoU करने का उद्देश्य है कि एक समर्पित मीडिया साक्षरता केंद्र का गठन करते हुए मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक चिंतन का प्रोत्साहन किया जाए। साथ ही, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाए।

सस्टेनिबिलिटी कर्मा और हरिदेव जोशी विवि के बीच हुए समझौते के अनुसार सस्टेनिबिलिटी कर्मा पॉडकास्ट और वीडियो प्रोडक्शन और जलवायु आधारित कार्य में विषयगत संवेदनशीलता आदि के लिए कार्यशाला आयोजित करेगा। यह विद्यार्थियों को पॉडकास्ट, रील्स और डिजिटल कहानियाँ बनाने के लिए उन्मुख करेगा। बेहतरीन कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित भी की जाएंगी। इन पहलकदम के लिए विवि विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ ही, परियोजना की अन्य गतिविधियों, कॉन्फरेंसेस और संगोष्ठियाँ आदि आयोजित करने के लिए संरचनागत और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

प्रवेश-प्रक्रिया

सत्र 2025-26

(i) प्रवेश सारणी

स्नातकोत्तर			
पाठ्य-योजना का नाम	पात्रता	सीटें	नियमित / स्ववित्तपोषित
एमए (मीडिया अध्ययन)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (विज्ञापन और जनसम्पर्क)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (न्यू मीडिया)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (विकास संचार)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
स्नातक			
बीए-जेएमसी: 3 वर्षीय	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में 10+2	90	नियमित
बीए-जेएमसी (ऑनर्स) इन मीडिया स्टडीज : 4 वर्षीय	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में 10+2	30	नियमित
पीजी डिप्लोमा			
पीजी डिप्लोमा इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित

(ii) प्रवेश नियम

1. बीए-जेएमसी (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के नियम

1.1 पात्रता

1.1.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् 10+2 योजना में 12वीं कक्षा (सीनियरसैकंडरी) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

1.1.2 न्यूनतम पात्रता प्रतिशत किसी भी संकाय में 48% प्राप्तांक है। स्थान रिक्त रहने पर इसमें 3% की छूट दी जाएगी।

1.2 कक्षा 12वीं की समकक्षता हेतु

1.2.1 कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान / राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

1.2.2 यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

1.2.3 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

1.2.4 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

नोट:- ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।

1.3 प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

1.4 प्रवेश आवेदन का शुल्क:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य / पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/एमबीसी	अजा / अजजा संवर्ग
1.	बीए-जेएमसी	605/-	440/-

1.5 काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

2. एमए- (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के नियम

2.1 पात्रता

- 2.1.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् किसी भी संकाय में स्नातक [10+2+3 (या तीन से अधिक) की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण] हो।
- 2.1.2 न्यूनतम पात्रता प्रतिशत 48% प्राप्तांक है। स्थान रिक्त रहने पर इसमें 3% की छूट दी जाएगी।
- 2.1.3 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य / ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.2. प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

2.3 प्रवेश आवेदन का शुल्क:

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य / पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/एमबीसी	अजा / अजजा संवर्ग
1.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	605/-	440/-

2.4 काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम

3.1 पात्रता

- 3.1.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् किसी भी संकाय में स्नातक [10+2+3 (या तीन से अधिक) की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण] हो।
- 3.1.2 प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

3.2 प्रवेश आवेदन का शुल्क:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समस्त संवर्ग
1.	पीजी डिप्लोमा	440/-

3.3 काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

3.4 स्ववित्तपोषित (एसएफएस) पीजी डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं के लिए शुल्क के अलावा सामान्य प्रवेश नियम, आरक्षण एवं भारांक संबंधी नियम लागू होंगे। इन पाठ्य-योजनाओं में शिक्षण शुल्क में कोई छूट देय नहीं है।

4. प्रवेश के सामान्य नियम

- 4.1 किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होगा। अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे इसके लिए रखी गई पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय नियमों के तहत निर्धारित कोई अन्य योग्यता उत्तीर्ण नहीं कर लेते।

- 4.2 विश्वविद्यालय अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 4.3 मात्र ऑनलाइन आवेदन करना प्रवेश मिलने की गारंटी नहीं है।
- 4.4 सभी तरह के अदालती मामलों के लिए न्यायिक क्षेत्र, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचारविश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर होगा, इसके अलावा कोई अन्यस्थान नहीं।
- 4.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कश्मीरीविस्थापित और दिव्यांग आदि आवेदकों के लिए सीटें राजस्थान सरकार की नीति/माननीय उच्चन्यायालय, राजस्थान के निर्देशानुसार आरक्षित रखी जाएंगी।
- 4.6 अकादमिक रिकॉर्ड में औसत अंकों में छूट/भारांकविभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के निमित्त विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दिया जाएगा।
- 4.7 जिस अभ्यर्थी ने अपने प्राप्तांक प्रतिशत बिना किसी छूट/भारांक के प्राप्त किए हैं, वरीयता सूची में उसका स्थान उस अभ्यर्थी से ऊपर होगा, जिसको निर्धारित नियमों के तहत छूट/भारांक दिया गया है और उसके बाद उसका प्रतिशत बिना भारांक वाले अभ्यर्थी के बराबर हुआ है।
- 4.8 सभी प्रवेश तब तक अस्थायी माने जाएंगे जब तक आवेदक प्रवेश संबंधी सभी तरह की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर देता।
- 4.9 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (गैर-आयकर दाता होने का) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला आवेदकों को राज्य सरकार ने निर्देशानुसार शिक्षण शुल्क में छूट मिलेगी। प्रमाण-पत्र / पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरांत यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.10 शुल्क का भुगतान: किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह सभी निर्धारित शुल्क (प्रवेश, शिक्षण व अन्य शुल्क) जमा नहीं कर देता। सभी तरह का शुल्क पूरी अवधि के लिए लिया जाएगा, फिर प्रवेश की तारीख चाहे जो भी हो। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने (प्रवेश की अंतिम सूची की अंतिम तारीख) के 10 दिन में आवेदन करने पर 75% शुल्क तथा 11 से 30 वें दिन तक आवेदन करने पर 50% शुल्क लौटाया जाएगा। तत्पश्चात जमा शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा; केवल अमानत राशि लौटाई जाएगी।
- 4.11 जमा अमानत राशि किसी भी तरह के बकाया (यदि कोई है) की वसूली के बाद ही लौटाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / विभाग छोड़ने के बाद के तीन अकादमिक सत्रों के भीतर की अवधि में आवेदन करना होगा।
- 4.12 पूरक या सप्लीमेंट्री के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश:
 - क. ऐसे आवेदकों को उनके खुद के जोखिम पर प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक तक अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। वरीयता सूची ये मानकर तैयार की जाएगी कि ऐसे विद्यार्थी प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक पूरक परीक्षा में प्राप्त कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता की अर्हता का प्रमाण देने के लिए पूरक परीक्षा की

अंक तालिका पेश करनी होगी।

ख. ऐसा अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है या निर्धारित न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त कर पाता है, उसका अस्थायी प्रवेश सूचक: ही निरस्त माना जाएगा।

4.13 प्रवेश नीति के संबंध में, जहाँ नवस्थापित विश्वविद्यालय में स्वयं के नियम नहीं हैं, वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों को ही मान्य रखा जाएगा।

4.14 निम्नलिखित श्रेणी के विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे:

- (i) जिन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जा चुका है।
- (ii) ऐसा व्यक्ति जिसको किसी दंडनीय अपराध में सजा सुनाई जा चुकी हो और नैतिक कदाचार में शामिल रहा हो, वह नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
- (iii) ऐसा कोई अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय के शिक्षक या किसी अन्य अधिकारी के साथ अभद्रता का दोषी हो उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है।

4.15 वर्तमान में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक सेक्शन में अधिकतम 30 और न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

4.16 निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस पाठ्य-योजना/कोर्स का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित किया जा सकता है।

5. स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के प्रवेश नवीनीकरण/ अभिलेख अद्यतनकरण की प्रक्रिया

5.1 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अन्तर्गत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करवा देता है, तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जाएगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो:-

- (i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
- (ii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
- (iii) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।

5.2. यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय / नॉनक्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र / पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जाएगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. प्रवेश में आरक्षण संबंधी नियम

6.1 प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग आदि को सीटों पर आरक्षण या अंकों में छूट राजस्थान सरकार के

नियमानुसार दी जाएगी।

- 6.1.1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 21%, अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.3 पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग, संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 () () आरएण्ड पी/ सा. न्या.अ.वि./ 12/7376-409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.4 कुल स्थानों में से 5 प्रतिशत सीटें बहरेपन/ गूंगेपन/ अंधेपन या किसी अंग की स्थायी विकलांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान सरकार की दिव्यांगता संबंधी आरक्षण नीति के अन्तर्गत यह आरक्षण देय होगा।
- 6.1.5 हर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में 10 प्रतिशत सीटें कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।
- 6.1.6 विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके संबंधित वर्ग के अनुसार तैयार की जाएगी।
- 6.1.7 आरक्षित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी जो सामान्य वर्ग की वरीयता सूची के समान अंक प्राप्त करेंगे, उनको आरक्षित सूची में नहीं गिना जाएगा और उनको सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश सामान्य श्रेणी में होगा उनको अलग रखते हुए आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी और उन वर्गों की वरीयता सूची आरक्षित सीटें भरने तक नीचे जाएगी। यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटें भरने के लिए प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को घटाया जा सकता है।
- 6.1.9 पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त, अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा, जिसमें अन्तिम निर्णय कुलगुरु के स्तर पर लिया जाएगा।

- 6.1.10 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क-2)विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}।
- 6.1.11 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्य-योजना में 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जाएगी। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/ क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}।
- 6.1.12 प्रत्येक पाठ्य-योजना में 15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। इन अधिसंख्यसीटों में से एक तिहाई यानी 5 प्रतिशतसीटों पर प्रवेश में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिसंख्यसीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में 5 गुना अधिक फीस देनी होगी।
- 6.1.13 जयपुर सीरियल बम धमाके के पीड़ितों का प्रवेश:
- (i) पीड़ितों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पाठ्य-योजना में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे प्रवेश के लिएन्यूनतम पात्रता को पूरा करते हों।
 - (ii) प्रत्येक ऐसे छात्र को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला कलेक्टर / नगर निगम या एसएमएस अस्पताल, जयपुर के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी हो।
 - (iii) इन छात्रों को पाठ्य-योजनापूरा करने तक परीक्षा और अन्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की जाएगी।
 - (iv) कुलगुरु द्वारा गठित एक अलग समिति जिसमें विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी, डी.एस.डब्ल्यू.इस संबंध में सभी दावों की विश्वसनीयता की जांच करने के पश्चात ही पीड़ितों को छूट का सुझाव देगी।
 - (v) विश्वविद्यालय की सभी पाठ्य-योजना(स्ववित्तपोषित सहित) में ऐसे छात्रों के लिए आवंटित की गई सीटों से अलग एक सीट निर्धारित और आरक्षित की जाएगी।
 - (vi) यह विशेष योजना दो प्रकार के पीड़ितों के लिए विशेष रूप से लागू होनी

चाहिए-

- क. ऐसा आकांक्षी छात्र जिसने अपने माता-पिता को खो दिया है। या तो पिता, माता या ऐसा कोई भी वह व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर इस विस्फोट से पहले इस तरह के छात्र के संरक्षक के रूप में नामित किया गया था।
- ख. आकांक्षी छात्र का कोई भी अभिभावक जो गंभीर रूप से घायल हो गया है (शारीरिक क्षति की न्यूनता सीमा 25 % है) या किसी भी महत्वपूर्ण शरीर के अंग का नुकसान (आंशिक या पूरी तरह से)।

7 प्रवेश के लिए भारांक

7.1. भारांक (वेटेज) हेतु सामान्य नियम निम्नानुसार है:-

- (i) वरीयता सूची तैयार करते समय भारांक सिर्फ तभी दिया जाएगा, जब अभ्यर्थी ने अनिवार्य न्यूनतम प्रतिशत अंक हासिल किया हो।
- (ii) प्रवेश नियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मिलने वाले अंकों की छूट अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, एक से ज्यादा नहीं।
- (iii) अभ्यर्थियों को उपर्युक्त छूट एचजेयू की भारांक समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अंतरिम प्रवेश (पूरक परीक्षा देनेवाले अभ्यर्थियों के लिए) की स्थिति में भी दी जाएगी।
- (iv) इस संबंध में एचजेयू का खेल बोर्ड मान्यता प्राप्त खेलों के लिए नियम तय करेगा
- (v) विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के हित में, उपर्युक्त छूटों को लागू करने से इंकार कर सकते हैं। वे अभ्यर्थियों के आचरण या प्रमाणपत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में भी प्रवेश के लिए निर्धारित छूट से मना कर सकते हैं।
- (vi) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रवेश में, खेलों में 5% या इससे अधिक भारांक के दावों के लिए अभ्यर्थी को विवि खेल बोर्ड में रिपोर्ट करना होगा और मौलिक प्रमाणपत्र के साथ शारीरिक क्षमता और अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा।
- (vii) अभ्यर्थी को खेलकूद/ सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय पर विगत तीन सत्रों में खेलकूद/ सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियाँ परिलाभ क्रमशः स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय ही दिया जाएगा।
- (viii) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय भारांक प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/ विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी भारांक के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रदेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) भारांक में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।

7.2 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	(i) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
	(ii) अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व	
	(iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/ उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/ उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी. एफ. आई.) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/ उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
ख	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/ उपविजेता दल का सदस्य	6 प्रतिशत
	(ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.)/ आई.पी.एस./ सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/ उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	
ग	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	

	राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर।	
	(ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन/ आई.पी.एस. संगठन/ सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रतिनिधित्व	5 प्रतिशत
	(iv) सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/ जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/ उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	
घ	(i) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत
	(ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/ जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	3 प्रतिशत
	(v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन/ आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
ङ	(i) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर।	
	(ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	2 प्रतिशत
	(iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	
	(v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की क्लस्टर/ जोन/ रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	

विशेष टिप्पणी : क के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपर्युक्त देय भारांक राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/ महाविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

7.2.1 भारांक प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित भारांक देय नहीं होगा –

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	क (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/ आयोजन सचिव
2.	ख से ग के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/ आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित
3.	घ का (i) से (v) एवं ड का (i) से (v)	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी/ उपजिला शिक्षा अधिकारी/ आयोजन सचिव/ आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे –

क्र.	खेल का नाम	क्र.	खेल का नाम
1.	एथलेटिक्स (क्रॉसकन्ट्री दौड़ सहित)	19.	जूडो
2.	जलीय खेल (स्वीमिंगडाइविंग एवं वाटरपोलो)	20.	मुक्केबाजी
3.	बैडमिन्टन	21.	मिनीगोल्फ
4.	बास्केटबॉल	22.	तीरन्दाजी
5.	शतरंज	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
6.	क्रिकेट	24.	सॉफ्टबॉल
7.	साइकिलिंग	25.	अमेरिकन फुटबॉल
8.	फुटबाल	26.	बॉल बैडमिन्टन
9.	हॉकी	27.	नेट बॉल
10.	कबड्डी	28.	रोलबॉल
11.	खो-खो	29.	रग्बी
12.	टेबल टेनिस	30.	स्कवैशरैकिट
13.	टेनिस	31.	ताइक्वांडो
14.	वॉलीबॉल	32.	वुशू
15.	हैण्डबाल	33.	योग
16.	कुश्ती	34.	पावर लिफ्टिंग
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	35.	ब्रिज
18.	जिमनास्टिक		

7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने जीवन काल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ख	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	6 प्रतिशत
ग	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय / राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत छूट का लाभ विवि के किसी संघटक/ सम्बद्धकॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
घ	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/ विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/ संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/ उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/ राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ख	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली)राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
ग	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/ विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
घ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.	सीनियर डिवीजन/ विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिविजन/ विंग (पांच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशकएन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ख	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार	
ग	निम्न गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	6 प्रतिशत
	गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/ द्वितीय स्थान	
	पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काईडाइविंग कोर्स पूर्ण कर्ताकैडेट	
	एडवेन्चरमाउन्टेनीयरिंग तथा एडवांसमाउन्टेनीयरिंग कोर्स पूर्ण कर्ताकैडेट	
	सी प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	बी प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	ए प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
घ	निम्न में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना–	5 प्रतिशत
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांसलीडरशिपकैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000) फ्रीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना ।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियरडिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	स्नो- स्कीइंग कोर्स	
	सीनियरअण्डरऑफिसर/ सीनियरकैडेट कैप्टन/ कैडेट फ्लाइट सार्जेन्टरैंक पर नियुक्ति	
ड	निम्न गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	3 प्रतिशत
	सी प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	बी प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	जूनियरडिवीजन ए प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	ऑलइण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	
	ऑलइण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटरस्कीइंग कोर्स	
	अण्डरऑफिसर/ कैडेट कैप्टन/ कैडेटसार्जेन्टरैंक पर नियुक्ति	

- 7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/ गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अंतरराष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/ गाइड/ रोवर/ रेन्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ख	राज्य पुरस्कार स्काउट/ गाइड/ रोवर/ रेन्जर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो	5 प्रतिशत
ग	तृतीयसोपानस्काउट/ गाइड अथवा प्रवीण रोवर/ रेन्जर अथवा निपुण रोवर/ रेन्जर अथवा स्टेट रोवरमूट/ रेन्जरमीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्टट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्सकर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता हो।	3 प्रतिशत

- 7.7 विवर्ण (अल्बिनो) अभ्यर्थियों को 1% का भारांक दिया जाएगा।
- 7.8 सैन्य बलों के सदस्य या उनके आश्रित और अर्द्ध-सैनिक बल या उनके आश्रित (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ) को प्रमाणपत्र जाँच के बाद 5% भारांक दिया जाएगा।
- 7.9 सैन्य और अर्द्धसैनिकबलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ) के शहीद –आश्रितों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश आवेदन शुल्क

(क) स्नातक पाठ्य-योजनाओं हेतु:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा, अजजा संवर्ग
1.	स्नातक पाठ्यक्रम	रूपये 605	रूपये 440

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्य-योजनाओं हेतु:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा, अजजा संवर्ग
1.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	रूपये 605	रूपये 440

(ग) पीजी डिप्लोमा:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समस्त संवर्ग
1.	पीजी डिप्लोमा	रूपये 440

सत्र 2025-26 में बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी (ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज), एमए, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं में नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु शुल्क संरचना

क्र.सं.	मद	विवरण	बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी (ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज) शुल्क (रूपये)	एमए शुल्क (रूपये)	डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा शुल्क स्ववित्तपोषी (रूपये)
1.	प्रवेश शुल्क	एक बार में	15000	20000	25000
2.	प्रनः प्रवेश फीस	प्रति वर्ष	15000	20000	--
3.	विद्यार्थी धरोहर राशि	एक बार में (वापसी योग्य)	2660	2660	2660
4.	कम्प्यूटर लैब शुल्क	एक बार में	1330	2000	1330
5.	स्टूडियो शुल्क	(एक बार में, उपलब्धता की स्थिति में)	1330	1330	2000
6.	पहचान पत्र शुल्क	प्रतिवर्ष	130	130	130
7.	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	प्रतिवर्ष	130	130	----
8.	छात्र संघ चुनाव शुल्क	प्रतिवर्ष	260	260	----
9.	क्रीड़ा शुल्क	प्रतिवर्ष, उपलब्धता की स्थिति में	260	250	260
10.	शिक्षण शुल्क	प्रति सेमेस्टर	1800	2000	3000
11.	पुस्तकालय शुल्क	प्रति सेमेस्टर	260	260	260
12.	अंतर विभागीय शुल्क	आवश्यकतानुसार	----	150	120
13.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	आवश्यकतानुसार	670	700	670
14.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (परीक्षा आरंभ के पश्चात)	आवश्यकतानुसार	1210	1210	1210
15.	अन्य बोर्ड (बीएसईआर के अलावा)/ विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	आवश्यकतानुसार	670	670	670
16.	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	आवश्यकतानुसार	260	260	260
17.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	130	130	130
18.	चरित्र प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	70	70	70
19.	दीक्षांत सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/ डिग्री शुल्क	एक बार में	950	950	950
20.	एल्युमनी एसोसिएशन सदस्यता शुल्क	एक बार में	670	670	670
21.	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	आवश्यकतानुसार	120	120	120
22.	प्रकाशन शुल्क	आवश्यकतानुसार	120	120	120
23.	विषय परिषद शुल्क	आवश्यकतानुसार	190	190	190
24.	विकास कोष शुल्क	प्रति वर्ष	260	260	260
25.	पार्किंग शुल्क	आवश्यकतानुसार	190	190	190
26.	पाठ्येत्तर कार्यकलाप शुल्क	आवश्यकतानुसार	120	120	----

परीक्षा से संबंधित शुल्क (बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी(ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज), एमए, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा केसभी विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	मद	विवरण	बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी(ऑनर्स) शुल्क (रु)	एमए शुल्क (रूपये)	डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा शुल्क (रु)
1.	परीक्षा शुल्क	-	260 Per Paper	260 Per Paper	260 Per Paper
2.	परीक्षा शुल्क (बीए-जेएमसी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों पर लागू)	प्रति सेमेस्टर	740	---	----
3.	बकाया पेपर शुल्क	प्रति पेपर	290	290	290
4.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क	प्रति पेपर	440	440	440
5.	संवीक्षा शुल्क	प्रति पेपर	220	220	220
6.	ट्रांसक्रिप्ट फीस	आवश्यकतानुसार	3900	3990	3990
7.	प्रवजन प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	260	260	260
8.	प्रवजन प्रमाण पत्र दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	1330	1330	1330
9.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	260	260	260
10.	अंकतालिका की दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	260	260	260
11.	अतिरिक्त अंकतालिका	आवश्यकतानुसार	400	400	400
12.	परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क	आवश्यकतानुसार	1.अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2. तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 550/-	1.अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2.तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 550/-	1.अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2.तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 550/-
13.	गोपनीय परिणाम शुल्क	आवश्यकतानुसार	1210	1210	1210
14.	योग्यता प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	360	360	360
15.	योग्यता प्रमाण पत्र की दुसरी प्रति शुल्क	आवश्यकतानुसार	670	670	670
16.	आरटीआई के तहत प्रति पेपर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी	आवश्यकतानुसार	770	770	770
17.	यदि दीक्षांत समारोह से पहले डिग्री	आवश्यकतानुसार	2000	2000	2000
18.	डिग्री की दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	670	670	670
19.	परीक्षा फॉर्म में छात्र द्वारा प्रस्तुत तिथि/ प्रविष्टि में (एक वर्ष के भीतर) सुधार	आवश्यकतानुसार	260	260	260
20.	परीक्षा फॉर्म में छात्र द्वारा प्रस्तुत तिथि/प्रविष्टि में (एक वर्ष के पश्चात) सुधार	आवश्यकतानुसार	670	670	670
21.	डाक शुल्क (प्रति अंकतालिका)	आवश्यकतानुसार	130	130	130

*बीए-जेएमसी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों पर लागू।

सत्र 2025-26 में पीएच.डी हेतु शुल्क संरचना

पीएच.डी शुल्क संरचना		
मद		शुल्क (रु)
A. पीएच.डी प्रवेश परीक्षा		
	प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश आवेदन शुल्क	3000
B. कोर्सवर्क शुल्क		
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार में)	15000
2.	कोर्स वर्क शिक्षण शुल्क (एक बार में)	25000
3.	पुस्तकालय शुल्क (एक बार में)	0
4.	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	150
5.	छात्र सुरक्षा बीमा अंशदान (प्रति वर्ष)	0
6.	छात्र धरोहर राशि (एक बार में, वापसी योग्य)	3220
7.	नामांकन शुल्क (आवश्यकतानुसार)	800
8.	अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क (आवश्यकतानुसार)	800
9.	प्रवजन प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)	330
C. शोध कार्य शुल्क		
1.	पीएच.डी पंजीकरण शुल्क (एक बार में)	3220
2.	शिक्षण शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	18980
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	2000
4.	कंप्यूटर लैब शुल्क (प्रति वर्ष)	1610
5.	थीसिस जमा कराने संबंधी शुल्क (एक बार में)	11275
6.	दीक्षांत समारोह शुल्क (एक बार में)	1120
7.	शोध छात्रसंघ सदस्यता शुल्क (प्रति वर्ष)	150
8.	शोध छात्रसंघ चुनाव शुल्क (प्रति वर्ष)	330
9.	पुनः पीएच.डी पंजीकरण शुल्क (आवश्यकतानुसार)	9000
10.	पुनः थीसिस जमा कराने संबंधी शुल्क (आवश्यकतानुसार)	9000
11.	पुनः मौखिकी (viva) शुल्क (आवश्यकतानुसार)	5500
12.	एक्सटेंशन शुल्क (आवश्यकतानुसार)	4000
13.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क (आवश्यकतानुसार)	1000
14.	अनुपस्थिति में डिग्री शुल्क (आवश्यकतानुसार)	1000
15.	डिग्री की दूसरी प्रति (आवश्यकतानुसार)	2000

(iv) शुल्क से छूट संबंधी प्रावधान

शिक्षण शुल्क /अन्य शुल्क की छूट संबंधी प्रावधान:

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी संवर्गों की छात्राओं/महिलाओं से, स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को क्रीड़ा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
3. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अविभावक आयकरदाता नहीं हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के हैं और ऐसे भी विद्यार्थी जो गैर आयकरदाता पूर्व-सैन्य जवानों के पालित हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
4. ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पालित/आश्रित (या जो स्वयं पूर्व रक्षा कर्मचारी हैं) जो 1962 के नेफा/लदाख ऑपरेशन और 1971 के भारत-पाक युद्ध में या तो स्थायी तौर पर अक्षम या शहीद हो गए, उन्हें शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते कि -
 - i. वह परिवार राजस्थान में स्थायी तौर पर बस गए हो,
 - ii. परिवार को 400 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा की पेंशन न मिल रही हो, तथा
 - iii. क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कमांडिंग अफसर से प्रमाणपत्र की नकल प्रस्तुत करें।
5. जो विद्यार्थी विकलांग/दिव्यांग हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें कम से कम कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित और मेडिकल अफसर से सह-हस्ताक्षरित स्थायी विकलांगता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. दृष्टि शक्ति और श्रव्य शक्ति से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा और शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
7. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शहीदों के पालितों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा (शहीद राजस्थान के स्थायी निवासी रहे हों)।

टिप्पणियाँ

1. कोई अन्य शुल्क/छूट जो यहाँ वर्णित नहीं है, के संबंध में कुलगुरु का निर्णय अंतिम होगा।
2. विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन अकादमिक वर्ष के भीतर अगर दावा नहीं किया जाता तो सभी जमा राशि जब्त मानी जाएगी।
3. विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय द्वारा निर्गत “विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा फॉर्म” सभी विद्यार्थियों को भरना अनिवार्य होगा।